असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 नवम्बर, 2019

षोडश विधान सभा 28 नवम्बर, 2019 ई0

---------- वृहस्पतिवार, तिथि----------

चतुर्दश सत्र 07अग्रहायण,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल, अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यगण वेल में आकर एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

<u>प्रश्नोत्तर-काल</u>

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11(श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव)</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग । शक्ति सिंह जी के प्रश्न का जवाब दीजिए, उन्होंने प्रश्न पूछा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्तर पर 23 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक बाजार भावों का अनुश्रवण राज्य के छः महत्वपूर्ण जिलों में मूल्य नियंत्रण कोषांग का गठन करके किया जाता है । साथ ही प्रत्येक दिन 23 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक मूल्य को भारत सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है । विगत वर्ष के माह अक्टूबर से वर्तमान वर्ष के माह नवम्बर तक प्याज का बाजार भाव माह अगस्त, 2019 तक सामान्य रहा है, परन्तु माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2019 में प्याज का खुदरा मूल्य औसतन 60/-रूपये से 70/-रूपये के बीच प्रतिवेदित हुआ है ।

(व्यवधान जारी)

2- अस्वीकारात्मक है ।

राज्य सरकार द्वारा प्याज के मूल्य नियंत्रण हेतु दिनांक 13.11.2019 को सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में मूल्य स्थिरीकरण प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्याज के मूल्य नियंत्रण हेतु तत्काल व्यवस्था के तहत नेफेड को निजी गोदामों को अधिकृत कर प्याज के वितरण एवं मूल्य नियंत्रण हेतु कार्य करने के लिए निदेशित किया गया है । उक्त के क्रम में

बिस्कोमान के स्तर से नेफेड द्वारा विभिन्न राज्यों से अधिप्राप्ति की गयी प्याज की मात्रा से 35 ट्रक प्याज राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टॉल के माध्यम से 35/–रूपये प्रति किलो की दर से लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

3– उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति सन्निहित है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–2/राजेश/28.11.19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । सभा सचिव ।

याचिका का उपस्थापन ।

सभा सचिवः महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 41 याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांकः 01, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी में हवाई अड्डा का निर्माण कराकर विमान परिचालन कर नागरिक सुविधा उपलब्ध करावें ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः महोदय, बाद में इसका उत्तर दे देंगे ।

अध्यक्षः ठीक है ।

क्रमांकः 02, श्री संजीव चौरसिया ।

अध्यक्षः श्री संजीव चौरसिया जी के संकल्प के लिए श्री अरुण कुमार सिन्हा जी प्राधिकृत हैं ।

श्री अरुण कुमार सिन्हाः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दीघा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जल निकासी हेतु नये नालों का निर्माण करावें ।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी नगर निकायान्तर्गत इस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन उस नगर निकाय के आंतरिक संसाधनों एवं विभिन्न मदों से उपलब्ध राशि से किया जाता है ।

अध्यक्षः अब हो गया । माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा जी आप वापस ले लीजिये।

श्री अरुण कुमार सिन्हाः महोदय, मैं इस संकल्प को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 03, श्री शिवचन्द्र राम

अध्यक्षः इस संकल्प के लिए श्री लाल बाबू राम जी प्राधिकृत हैं ।

(माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम अनुपस्थित)

श्री लाल बाबू राम जी अनुपस्थित हैं यानी संकल्प देने वाले और प्राधिकृत होने वाले सदस्य दोनों ही अनुपस्थित हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, हम तो तैयार हैं ।

अध्यक्षः अब तो पूरा सदन आश्वस्त होगा कि इस सदन में शिक्षा मंत्री जी सरकार के ऐसे प्रतिनिधि हैं, जो हर प्रश्न पर, हर विषय पर, हर समय तैयार रहते हैं ।

क्रमांकः 04, श्री आलोक कुमार मेहता

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांकः 05, श्री सुनील कुमार

श्री सुनील कुमारः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी शहर स्थित मेहसौल आजाद चौक के निकट विगत 6 वर्ष पूर्व प्रारम्भ किये गये रेलवे ओभर ब्रिज का कार्य को पूर्ण करावें ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः महोदय, बाद में इस संकल्प का भी उत्तर देंगे ।

क्रमांकः 06, श्री सुदामा प्रसाद

श्री सुदामा प्रसादः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के तरारी विधान सभा क्षेत्र के सहार प्रखंड में कोशियर गाँव के पास मुख्य रास्ता का पुल वर्ष-2016 से क्षतिग्रस्त था, जो इस बार के भयंकर बारिश से ध्वस्त होकर बह गया है, का अतिशीघ्र निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल एक तरफ हनुमान छपरा बसावट है, जिसे आरा सहार रोड टी0जीरो-टू0 से एकबारी से संपर्कता प्रदत्त है, उसके दूसरी तरफ कोशियर बसावट है, जिसे चारी निमिया रोड टी0जीरो0-थ्री से कोशियर पथ तक संपर्कता प्रदत्त है । हनुमान छपरा से कोशियर पथ तक आरेखन तक कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोरनेट वर्क में शामिल

नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल में विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री मो0 नेमतुल्लाह ने आसन ग्रहण किया)

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): इसे वापस ले लीजिये ।

श्री सुदामा प्रसाद: नहीं सर । इस पर कुछ कहना है सर । महोदय, 2016 से ही लिखकर दिये हैं मंत्री जी के यहाँ । तो यह जो पुल है, वह जोड़ता है पूरी आबादी को, तो इस पुल को बनाने में क्या दिक्कत है ? इसमें क्या दिक्कत है मंत्री जी बतावें कि यह पुल बनेगा कि नहीं बनेगा ?

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): ठीक है । अभी तो आप वापस लीजिये ।

श्री सुदामा प्रसाद: महोदय, इस पर हम आश्वासन चाहते हैं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): अभी तो वापस ले लीजिये । माननीय मंत्री जी इसे देख लेंगे ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, हम बसावट को संपर्कता देते हैं, जो हमने बताया । माननीय सदस्य को फिर कहना चाहते हैं कि एक तरफ हनुमान छपरा बसावट है, जिसे आरा-सहार रोड टी0जीरो0-टू0 से एकबारी से संपर्कता प्रदत्त है और दूसरी तरफ कोशियर बसावट है, जिसे पियारी निमिया रोड जीरो-थ्री से कोशियर तक पथ से संपर्कता प्रदत्त है, तो दोनों ही तरफ से संपर्कता दिया हुआ है महोदय ।

श्री सुदामा प्रसाद: महोदय, वही मेन रास्ता है और छोटी पुलिया है सर ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): आप वापस तो ले लीजिये ।

श्री सुदामा प्रसाद: ठीक है । आपके आदेश पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक: 07, श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा ।</u>

श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा विधान सभा क्षेत्र में पुनपुन नदी पर महुऑव गाँव एवं नारायणपुर के बीच पुल का निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ बसावट महुऑव को पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत एल0जीरो0-37 खराटी एन0एच0-139 से महुआ तक निर्मित पथ से संपर्कता प्रदत्त है । पुल स्थल से दूसरी तरफ से बसावट नारायणपुर में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत बेल पौथू पथ से नारायणपुर तक निर्मित पथ से संपर्कता प्रदत्त है । महुऑव एवं नारायणपुर

बसावट के आरेखन में पुनपुन नदी है, इस आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोरनेट वर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: महोदय, ओबरा से नारायणपुर की दूरी 20 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है, अगर यह पुल बन जाता है तो इसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर हो जायेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पुल को बनाने का आश्वासन दें ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, हम तो बता दिये हैं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: महोदय, माननीय मंत्री आश्वासन तो दे दें, मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 08, श्री जयवर्धन यादव

श्री जयवर्धन यादव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सोन कैनाल परियोजना के नहर संख्या-10 के पालीगंज वितरणी अन्तर्गत भरतपुरा उप वितरणी में ग्राम-भड़भेसर से ग्राम-सिही तक नहर की उड़ाही करावें ।"

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भरतपुरा उप वितरणी पालीगंज वितरणी के 18.15 किलोमीटर से निश्रित है । भरतपुरा उप वितरणी से खरीफ सिंचाई 2019 में 700 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 650 हेक्टेयर में सिंचाई की गयी है । पालीगंज वितरणी एवं उससे निश्रित सभी वितरणी प्रणाली कृषक समिति को हस्तांतरित है । कृषक समिति द्वारा किसानों से जलकर की वसूली की जाती है। जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-915 दिनांक 15.1.1996 के अनुसार जलकर की वसूली का 70 प्रतिशत नहर वितरणी प्रणालियों के रख-रखाव एवं कार्यों के लिए कृषक समितियों को उपलब्ध रहेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि शीर्ष संरचना तथा मुख्य नहर शाखा नहर के रख-रखाव पर होने वाले व्यय के लिए जल संसाधन विभाग में उपलब्ध रहेगा, साथ ही वितरणी को कृषक समिति को सौंपने के बाद उसके रख-रखाव में जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया जायेगा । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री जयवर्धन यादवः महोदय, मेरा आग्रह होगा कि जब सशक्त समिति को जा रहा है तो आप जान रहे हैं कि पानी की ऐसे ही कितनी कमी है और इसका कारण यह है कि इसकी उड़ाही नहीं हो पा रही है, जब आप 70 प्रतिशत राशि दे ही रहे हैं सशक्त समिति को तो इसको माननीय मंत्री जी इसकी समीक्षा करके इसको उड़ाही कराने की कृपा करेंगे, इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापतिः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/28-11-19

क्रमांकः 9, श्री राहुल तिवारी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांकः 10, श्री अशोक कुमार सिंह

श्री अशोक कुमार सिंहः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अन्तर्गत खजुरा पंचायत के कुल्हरियां मौजा में 50 एकड़ जलकर भूमि पर बांध बना चेक-डेम लगाकर किसानों के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था कर भूगर्भ जल स्तर को सुरक्षित करते हुए बांध पर वृक्षारोपण करावें ।''

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्रीः माननीय सभापति महोदय, दुर्गावती प्रखंड के खजुरा पंचायत के कुल्हरियां मौजा में कुल्हरियां गांव के पश्चिम में रेलवे लाईन के उत्तर तथा लरमा पम्प नहर के बीच लगभग 40 एकड़ सर्व-साधारण प्लौट है । उक्त भूमि पर जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा प्राप्त कर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पोखर का निर्माण कराया जायेगा साथ ही तटबंध पर वृक्षारोपण का कार्य करा दिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार सिंहः माननीय मंत्री जी को, सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 11, श्री मो0 आफाक आलम

श्री मो0 आफाक आलमः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखंड के डिमिया पंचायत में सौरा नदी के सुरहा घाट पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री शैलेश कुमार: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ एकरा बांसर बसावट अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता निर्मित पूर्णियां से श्रीनगर एस.एच. पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ मटियारपुर बसावट अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 विश्व बैंक अन्तर्गत निर्मित डिबियां-सुरहां पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । सम्प्रति इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मो0 आफाक आलम: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि यह पुल जो है वह जलालगढ़ प्रखंड में पड़ता है और उस पुल से उसको कोई मतलब नहीं है इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि चचरी के पुल से लोग अभी भी पार हो रहे हैं, वहां से बच्चे को स्कूल जाने और पढ़ाई-लिखाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । कई बार लोग पुल से नीचे गिर गये हैं इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इस पुल को शीघ्र बनाने की कोशिश करें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) संकल्प वापस लीजिये ।

श्री मो0 आफाक आलम: वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक: 12, श्री चन्दन कुमार</u>

श्री चन्दन कुमार: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत बेला पी0एच0डी0 पथ से रानीशकरपुरा तक पथ निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करावें ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ दो पथ से संबंधित है पहला, पी0डब्लू0डी0 पथ बेला से पासी टोला तक पथ, उक्त पथ का प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है, तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । दूसरा, पासी टोला से रानीसकरपुरा तक पथ, उक्त पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधिसूचना संख्या 1/अ0प्र0-13-15/2018, 4756, पटना, दिनांक 14-5-18 द्वार पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है जिसका यह पथांश है । अत: उपर्युक्त वर्णित

तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) आप अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री चन्दन कुमार: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 13, श्री कुमार सर्वजीत

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक: 14, श्री सत्यदेव राम

श्री सत्येदव राम: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के 16 लाख से अधिक वास भूमिहीन व्यक्तियों को 05 डिसीमिल जमीन खरीदने के लिए 60,000/-(साठ हजार) रू0 देने के बजाय 05 डिसीमिल जमीन खरीद कर दे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने हेतु लाभार्थी के पास न्यूनतम 25 वर्गमीटर वास भूमि होना आवश्यक है । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में कुल 30 हजार 532 वासविहीन परिवार चिन्हित है जिसमें से 18 हजार 504 परिवार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग की कोटि के हैं । योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल वासस्थल विहीन लाभुकों के समक्ष ससमय आवास की समस्या के समाधान हेतु मुख्यमंत्री वास क्रय सहायता योजना लागू की गयी है । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अति पिछड़े वर्ग के लाभुकों को पंचायत अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु न्यूनतम 25 वर्गमीटर वास भूमि क्रय हेतु 60 हजार रू0 तक की सहायता राशि एफ0टी0ओ0 के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है । वास भूमि का चयन लाभुक अपनी पसंद से करते हैं । लाभुक के पास भूमि की उपलब्धता के साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास की स्वीकृति भी दे दी जाती है ताकि उनके समक्ष आवास की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके । लाभुकों के वास भूमि के निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के लिए क्रमश: 50 रू0 निर्धारित किया गया है । इस योजना अन्तर्गत लाभुक अपनी पसंद से वास भूमि का चयन करते हैं । इससे लाभुकों को ज्यादा अधिकार मिलता है । इस योजना अन्तर्गत अभी तक 655 लाभुकों का निबंधन एवं 320 को सहायता राशि हेतु एफ0टी0ओ0 जारी किया जा चुका है । अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सत्येदव राम: महोदय, मैंने ये सवाल उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं.

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) सवाल नहीं, यह संकल्प है । यह तो हो ही गया, आपको माननीय मंत्री जी ने पूरा विस्तार से बतलाया है।

श्री सत्येदव राम: माननीय मंत्री जी ने जो भी उत्तर दिये हैं वह सही नहीं है और हम आज ये मांग करते हैं, चूंकि 16 लाख से अधिक जो वास भूमिहीन लोग हैं उनको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है महोदय इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं कि ये वासभूमिहीनों को कम से कम इतना आप कर दीजिये कि वे भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। महोदय, इस प्रस्ताव को मैं वापस नहीं लूंगा इसलिए कि ये वासभूमि का सवाल है, कोई और सवाल नहीं है । अगर सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को बसने के लिए जमीन हम नहीं देंगे तो हम बैठ जायेंगे । पूरे बिहार में 60 हजार रू0 में कहां जमीन मिलेगी और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके च्वाईस के अनुसार खरीदा जाता है लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, जमीन सभी जगह महंगा हो गया है..

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो पहले से सरकार की नीति है 5 डी0 जमीन देने की, उस पर रोक नहीं है वह जारी है । ये तो अतिरिक्त है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, वैसे जो लाभुक हैं जिनको जमीन नहीं मिला है और इच्छानुसार अगर जमीन खरीदना चाहते हैं उनको 60 हजार रू0 की सहायता राशि अलग से दे रहे हैं महोदय, ये तो माननीय..

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) चलिए, अब तो स्पष्ट हो गया ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, कहीं नहीं 5 डी0 जमीन बसने के लिए दिया गया है। अगर ये देने की घोषणा कर दें तो हमारी बात खत्म हो जाती है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) ठीक है, आप संकल्प वापस लीजिये ।

श्री सत्यदेव राम: अब तो सरकार को यह लगता होगा कि सत्येदव राम ने यह बात उठायी है अगर घोषणा कर देंगे तो इनके खाते में चला जायेगा उपलब्धि, मैं तो कहता हूँ कि सरकार की ही उपलब्धि रहेगी, मैं इसकी उपलब्धि का अधिकारी नहीं होऊंगा लेकिन सरकार 16 लाख से अधिक के बसने हेतु जमीन की घोषणा यहां कर दे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) अब वापस लीजिये।

श्री सत्यदेव राम: बहुमत करा लीजिये, अगर चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बसने हेतु जमीन न मिले तो मैं तो वापस नहीं लूंगा । आपलोग कह दीजिए हाथ उठाकर कि वे लोग नहीं बसे ।

टर्न-4/आजाद/28.11.2019

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सरकार की जो 5 डिसमिल जमीन देने की नीति है, वह तो है ही, उसके अतिरिक्त ये जो भूमिहीन हैं, उनको दिया जा रहा है ।

श्री सत्यदेव राम : हम तो अतिरिक्त मांग किये नहीं हैं, हम तो वही कह रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, इनकी जानकारी के लिए हमने अभी इनको उत्तर दिया है, 655 लाभुकों का हमने निबंधन कराया है और 320 लोगों को सहायता राशि दी जा रही है तो ये कह रहे हैं कि 60 हजार में कहां जमीन दिया जा रहा है तो 320 लोग कैसे जमीन खरीद रहे हैं ? इनको कितनी राशि चाहिए, यह तो बता देना चाहिए ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : चलिए, अब स्पष्ट हो गया न ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं स्पष्ट नहीं हूं, वापस तो ले लेता हूँ लेकिन सरकार भूमिहीनों को बसने के लिए जमीन नहीं दे रही है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक - 15 श्री रवि ज्योति कुमार</u>

श्री रवि ज्योति कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला के राजगीर प्रखण्ड अन्तर्गत आयुध कारखाना राजगीर के निर्माण के समय विस्थापित लोगों के बीच वासगीत पर्चा का वितरण करावे । ''

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : सभापति महोदय, नालन्दा जिला के राजगीर प्रखण्ड अन्तर्गत आयुध कारखाना राजगीर के निर्माण के लिए किये गये भू-अर्जन के क्रम में विस्थापित परिवार को अर्जित जमीन के अंश को बाद में मकान बनाकर बसाया गया है । बसाया गया स्थल आयुध विभाग की है । ऐसी स्थिति में वासगीत पर्चा देने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है । विस्थापित स्थल नागडीह-1 एवं नागडीह 2 के नाम से बराकर पंचायत में स्थित है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे।

श्री रवि ज्योति कुमार : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक - 16 श्री रामदेव यादव</u>

श्री रामदेव यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक रूप से पिछड़े बांका जिला को विशेष जिला घोषित करे । ''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, राज्य के अन्य जिलों की भांति बांका जिला में भी केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विकास संबंधित विभिन्न योजनायें सुचारू रूप से संचालित की जा रही है । इस जिले में इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी संतोषप्रद है । बिहार राज्य के किसी भी जिले को विशेष जिला घोषित किये जाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है । अतः बांका जिला को विशेष जिला घोषित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : इसको वापस लीजिए ।

श्री रामदेव यादव : महोदय, ...

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : इसमें भाषण की जरूरत नहीं है, इसको वापस लीजिए । विशेष राज्य का आप दर्जा मांग रहे हैं, इस संबंध में सदन से प्रस्ताव पास होकर विशेष राज्य का दर्जा के लिए गया है । इसलिए इसको आप वापस लीजिए ।

श्री रामदेव यादव : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ लेकिन .....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 17 श्री तारकिशोर प्रसाद

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत विगत 2017 में आयी भीषण बाढ़ के कारण ध्वस्त कटिहार-कन्धरपैली पथ पर धुसमर के पास स्क्रू पाईल्स पुल के स्थान पर बाधित आवागमन को चालू करने हेतु अविलम्ब उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ धुसमर ग्राम है, जिसकी सम्पर्कता निर्मित कटिहार-कन्धरपैली आर0डब्लू0डी0 पथ से प्राप्त है और दूसरी तरफ खैरा ग्राम है, जिसकी सम्पर्कता निर्मित दंडखौरा से खैरा आर0डब्लू0डी0 पथ से सम्पर्कता है । अतः इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, जो भी इनके विभाग के अभियंता जानकारी भेजे हैं, वह सत्य से परे है । वह कटिहार-कन्धरपैली पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ काफी महत्वपूर्ण है और वह कई प्रखण्डों को जोड़ता है और यह ब्रीज इतना महत्वपूर्ण है, उसके लिए तत्काल डाइवर्सन भी विभाग ने बनायी है, जबकि आर0डब्लू0डी0 डाइवर्सन में पुल बहुत कम बनाती है और उसके कारण पूरा आवागमन बाधित है और दोनों सड़कों की

जहां तक ये बात किये हैं, खैरा और बठैली पथ में आज भी आधा सड़क क्षतिग्रस्त है। इसलिए एकदम अधूरी और गलत जानकारी विभाग ने इनको दी है । इसलिए पुनः मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस क्षतिग्रस्त पुल को आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय मंत्री जी इसको देखवा लेंगे । माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, यह गलत बात है न । माननीय मंत्री जी जवाब तो दें । अगर इस तरह से प्रतिवेदित किया जायेगा तो यह कोई बात नहीं है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले लीजिए, माननीय मंत्री जी इसको देखवा लेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 18 श्री कमरूल होदा

श्री कमरूल होदा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अन्तर्गत आर0डब्लू0डी0 सड़क पोठिया प्रखंड मुख्यालय से बेलवा हाटा तक वाया रतवा, दामलबाड़ी, पानी साल, जिसकी कुल लम्बाई-32 किलोमीटर है, को आर0सी0डी0(पथ निर्माण विभाग) में अधिग्रहण कर उसका निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर नया पथ अधिग्रहण नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नया पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतएव माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री कमरूल होदा : सभापति महोदय, यह पोठिया प्रखंड अन्तर्गत पोठिया का लाईफलाईन है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : यह अभी प्रक्रियाधीन है, पॉलिसी डिसीजन हो रहा है, आप इसको वापस ले लीजिए ।

श्री कमरूल होदा : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 19 श्री शत्रुधन तिवारी

श्री शत्रुधन तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अमनौर विधान सभा क्षेत्र के अमनौर प्रखंड स्थित अरना कोढ़ी में बंद पड़े चीनी मिल की जमीन में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, अमनौर विधान सभा क्षेत्र के अमनौर प्रखंड स्थित अरना कोढ़ी स्थित जमीन बंद पड़े मढ़ौरा चीनी मिल की है । मढ़ौरा चीनी मिल ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ग्रुप की एक इकाई है, जिसपर केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का स्वामित्व है । चूँकि अरना कोढ़ी जमीन बिहार सरकार के अधीन नहीं है, अतः वहां पर कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री शत्रुधन तिवारी : महोदय, चीनी मिल 1997 में बन्द हो गया । उस समय से किसानों का चीनी मिल पर लगभग 5 करोड़ रू0 बकाया है, जो किसानों को नहीं मिला है । खबर मिली है कि अवैध तरीके से चीनी मिल के जमीन की बिक्री की जा रही है । दूसरी बात यह है कि चीनी मिल वहां पर दोबारा चालू हो जाय या उसपर कोई .....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप इसको वापस लीजिए ।

श्री शत्रुधन तिवारी : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 20 श्री आनन्द शंकर सिंह

श्री आनन्द शंकर सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत छठ मेले के लिए प्रसिद्ध देव को मास्टर प्लान बनाकर विकसित करावे । ''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, राज्य के शहरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए नगर निकाय एवं इससे सटे वृहत क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम हम शहरों का योजना क्षेत्र की घोषणा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2014 के नियम-9 के अन्तर्गत किया गया है । औरंगाबाद का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एवं योजना क्षेत्र की घोषणा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसमें देव सीडी ब्लॉक के 19 राजस्व ग्राम शामिल है । इसका क्षेत्रफल 36.58 वर्गमीटर है, इसके होने के बाद इसको किया जायेगा ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 21 श्री मो0 नवाज आलम

श्री मो0 नवाज आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला मुख्यालय आरा को नाले के पानी के जल-जमाव से स्थायी निदान हेतु बुडको द्वारा प्रस्तावित नौ आउट फॉल नाला के निर्माण हेतु निधि उपलब्ध कराकर योजना को कार्यान्वित करावे । ''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आरा शहर के जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु आरा स्ट्रौंग वाटर ड्रैनेज फेज-1 का डी0पी0आर0 प्राप्त हुआ है । जिसपर विभागीय स्तर पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान की जा चुकी है । तकनीकी अनुमोदन की राशि 5537.75 लाख रू0 मात्र है । राशि की उपलब्धता के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, यह लगभग नौ आउट फॉल नाला जो है, पूरे शहर में अभी जो लगातार जल-जमाव हुआ, हमने लगातार सदन में इस बात को माननीय मंत्री जी के सामने रखते रहे हैं .....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपका प्रोपोजल तो हो गया है न ....

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मेरी बात को सुन लिया जाय । संयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, 30.01.2017 को समीक्षा बैठक से लेकर लगातार 4 वर्षों से इस सवाल को हमलोग रख रहे हैं । एक मेरा आग्रह होगा नौ आउट फॉल नाला कोई बड़ा नहीं है और फेज-1 एवं 2 का डी0पी0आर0 ऑलरेडी प्रस्तुत है । मेरी समझ से माननीय मंत्री जी से जब बात होती है तो कहते हैं कि निधि नहीं है तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जनहित में इसके संबंध में आश्वासन दिया जाय, बहुत जनहित का मामला है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लीजिए ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : देखवा लेंगे सर ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-5/शंभु/28.11.19

क्रमांक-22, श्री अचमित ऋषिदेव

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड में जानकीनगर शाखा नहर (जे0बी0सी0) के दायीं ओर आर0डी0 130 से 135 के बीच एक हजार एकड़ से अधिक जमीन से जल निकासी का समुचित प्रबंधन करावे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के खुटहा बैजनाथपुर पंचायत के ग्राम खुटहा में जानकीनगर शाखा नहर के दायीं ओर आर0डी0 130 से 135 के बीच वर्षा का पानी जमा होकर एक हजार एकड़ से अधिक जमीन में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न करता है । जल-जमाव की समस्या से बचाव एवं जल निकासी हेतु सी0डी0 संरचना का निर्माण जानकीनगर शाखा नहर के आर0डी0 134.50 पर प्रस्तावित है । प्रस्तावित संरचना के निर्माण होने पर नहर के दायीं तरफ का जल-जमाव का पानी बायीं ओर निकलकर बाघमारा धार में चला जायेगा । प्रस्तावित संरचना के निर्माण हेतु रूपांकन कार्य प्रक्रियाधीन है, तत्पश्चात् संरचना निर्माण कार्य प्रारंभ हो जायेगा । इसलिए अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : धन्यवाद । हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-23, श्री जिवेश कुमार

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के दरभंगा में बनने वाले हवाई अड्डा का नामकरण महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति जी के नाम पर करे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय सभापति महोदय, दरभंगा एयरपोर्ट का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है । इस कार्यक्रम में मैं भी था जब 24 दिसम्बर, 2018 को कार्यक्रम दरभंगा में हुआ था और इसका सिविल इन्क्लेव का कार्यारंभ हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे । यह एयरपोर्ट कवि कोकिल विद्यापति जी के नाम पर हो यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सभा में ही रखी थी कि इसका नाम कवि कोकिल विद्यापति जी के नाम पर रखा जाय । साथ ही जो

उस समय के नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु जी थे । उन्होंने उस सभा में मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव पर सहमति जाहिर किया था और केन्द्र सरकार को करना है अगर कहीं फोलोअप करना होगा तो जरूर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हमलोग करेंगे।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

क्रमांक-24, श्री दिनकर राम

श्री दिनकर राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखंड के दिघी पंचायत में लोहखर चौक से पूरब अधवारा समूह- लखनदेई नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल के प्रस्ताव को पी0एम0जी0एस0वाइ0 के अधीन भारत सरकार को भेजा गया था, भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है । अतः तत्काल पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : विचाराधीन ही नहीं है तो वापस लीजिए आप ।

श्री दिनकर राम : वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-25, श्री मुंद्रिका प्रसाद राय

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार के वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । सारण जिलान्तर्गत सभी अनुमंडलों में पूर्व अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित हैं । प्रखंडवार सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है । जिन प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं वहां दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र खोले जा रहे हैं । अतः अनुरोध है कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : वापस लीजिए ।

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : महोदय, यह जो नीति है कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज रहेगा और छात्रों की संख्या सीमित कर दी गयी है । जो छात्र पढ़ने के लिए इच्छुक हैं वे बच जाते हैं और छटपटा करके उनके गार्जियन जिला में घूमते रह

जाते हैं कि उनके बच्चे कहां पढ़ें । ऐसी स्थिति में सरकार का कोई नीति निर्धारण नहीं हो पायेगा?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि अभी जो सरकार की नीति है केवल अनुमंडलों में ही जहां पूर्व से डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है ।

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : हमारे यहां है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री : लेकिन प्रखंड में ऐसा कोई विचार नहीं है और उसके लिए प्रखंडों में नालन्दा ओपेन यूनिवर्सिटी के थ्रू वहां अध्ययन केन्द्र खोलने की व्यवस्था है और उसके थ्रू लोग लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं । इसलिए आप कहेंगे तो वहां अध्ययन केन्द्र खुल जायेगा ।

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : इस तरह से समस्या का समाधान तो नहीं हुआ । जब तक डिग्री कॉलेज हर जगह नहीं खुलेगा तो बच्चे कहां पढ़ने जायेंगे ? इसपर विचार होना चाहिए ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अपना संकल्प वापस लीजिए ।

श्री मुंद्रिका प्रसाद राय : ठीक है वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–26, श्री फराज फातमी</u>

श्री फराज फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड में रेफरल अस्पताल खुलवावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केवटी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किया गया है जिसमें रेफरल अस्पताल के समतुल्य ही तीस बेड की सुविधा उपलब्ध है । अतएव केवटी में रेफरल अस्पताल अलग से खोलने की कोई प्रासंगिकता नहीं है । अतएव तत्संबंधी योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री फराज फातमी : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीस बेड का अस्पताल वहां पर है। जबकि केवटी प्रखंड की आबादी देखी जाय तो वह 2 लाख की आबादी है ।

क्रमश:

टर्न-6/ज्योति/28-11-2019

क्रमशः

श्री फराज फातमी : क्या 30 बेड 2 लाख की आबादी को पूरा कर सकता है और जो रेफरल सी.एस.सी. है वहाँ से हमारे दरभंगा की दूरी कम से कम 35 से 40 कि.मी. की दूरी है । मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि और भी जगह रेफरल अस्पताल खुला है कम से कम जनहित का मामला है, लोक हित का मामला है हमारे वहाँ पर जितने भी पेशेंन्ट्स हैं वहाँ से इमरजेंसी पेशेन्ट्स केवटी से दरभंगा आने में कितने लोगों की कैजुअल्टी हो जाती है कितने लोग मर जाते हैं बीच रास्ते में तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में विचार करें और एक अच्छा एक अस्पताल वहाँ पर खोलें ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : पहले संकल्प वापस लीजिये ।

श्री फाराज फातमी : पहले जवाब सुन लें ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ । मैंने माननीय सदस्य को बताया कि जो पी.एच.सी. था उसको हमने सी.एस.सी. के रूप में उत्क्रमित किया है पी. एच.सी. का मतलब होता है पहले 6 बेड का अस्पताल था वहाँ उसको उत्क्रमित करके 30 बेड का बनाया गया है और स्वास्थ्य विभाग का निर्णय है कि जो हमारे पी.एच.सी. हैं उसको धीरे-धीरे सी.एस.सी. में हम कन्भर्ट करेंगें उत्क्रमित करेंगे तो उत्क्रमित किया गया है और जो रेफरल अस्पताल बनता है वह भी 30 बेड का ही बनता है तो रेफरल अस्पताल भी 30 बेड का और सी.एस.सी. भी 30 बेड का तो हमने सी.एस.सी. तो हमने बना ही दिया है इसलिए माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : चलिए डॉक्टर साहेब वापस लीजिये ।

श्री फराज फातमी : चलिए, आप कहते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक 27 श्री सरोज यादव</u>

श्री सरोज यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत केशोपुर से भाया शालिग्राम सिंह के टोला होते हुए गजियापुर तक सड़क का निर्माण करावे । ''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के केशोपुर से भाया शालिग्राम सिंह के टोला होते हुए गजियापुर तक

की कुल लंबाई 9.82 कि.मी.है । गंगा नदी के दायें किनारे निर्मित बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध का 8.82 कि.मी. का भाग एवं पूर्वी गांगी वांया तटबंध का 1 कि.मी. का भाग है । यह आम रास्ता नहीं है इसका उपयोग बाढ़ अवधि में जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई के लिए किया जाता है । यदि सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी । सिंचाई विभाग सड़कों का निर्माण नहीं करता इसलिए अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सरोज यादव : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह नीचे है कि कोई भी गांव का टोला हो या गांव है उसको कनेक्टिविटी देना है लेकिन सभापति महोदय, ऐसे जगह की जिक्र हम किए हैं और हम बार-बार सदन में यह प्रस्ताव लाते हैं कि दस ऐसे गांव हैं जहाँ से कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं है और न वह रोड से जुड़ा हुआ है जब बाढ़ आती है सभापति महोदय, तो कहीं से उन लोगों को आने-जाने का रास्ता नहीं है । इसके पूर्व में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था सदन में मैं आर.डब्लू.डी. में भी जाता हूँ तो माननीय मंत्री जी के द्वारा या सचिव महोदय के द्वारा कहा जाता है कि मेरे द्वारा नहीं बनाया जायेगा, यह फ्लड विभाग का बांध है और कोई रास्ता नहीं है ।

सभापति (श्री मो. नेमतुल्लाह) : एन.ओ.सी. मांगेंगे तो इनके द्वारा दे दिया जायेगा ।

श्री सरोज यादव : एन.ओ.सी. के बारे में कहते हैं कि मेरे द्वारा नहीं बनाया जायेगा क्योंकि स्लुईस गेट का निर्माण कराना पड़ेगा इसलिए आग्रह है कि वहाँ करीब-करीब 10 गांव के लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगा इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से इसको देखते हुए जनहित में इस रोड को बनवाने का काम करें चूँकि आर.डब्लू. डी. नहीं बना रहा है । मैं चार साल से इस प्रस्ताव को सदन में लाने का काम कर रहा हूँ । लोग परेशान है जनता बार-बार कहती है इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर चुका हूँ इसलिए मैं आग्रह करूंगा मैं लिखित में भी दिया हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : ठीक है, अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री सरोज यादव : ठीक है, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 28 श्री समीर कुमार महासेठ

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वृद्धावस्था में आर्थिक संबल हेतु राज्य के दिव्यांग सहित सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार होने या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो पहले हो) अपने स्तर से प्रीमियम का भुगतान कर अटल पेंशन योजना के तहत आच्छादित कर लाभ दिलावे । ''

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार के द्वारा राज्य के दिव्यांग सहित सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार होने या 60 वर्ष की आयु पूरी होने जो पहले है अपने स्तर से प्रीमियम का भुगतान कर अटल पेंशन योजना के तहत आच्छादित कर लाभ पहुंचाने की कोई योजना कार्यान्वित नहीं है । वर्तमान में विभिन्न आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के पेंशन एवं अन्य आर्थिक सहायता योजनाएं चलायी जा रही हैं ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री समीर कुंमार महासेठ : महोदय, मैंने सरकार का जवाब सुना और समझा । यह सरकार बेरोजगारों और गरीबों का हमदर्द होने का दम भरती है लेकिन जब बात आती है बेरोजगारों को बुढ़ापा में आर्थिक संबल देने का तो पलट जाती है । सरकार इसको मान लें अन्यथा आने वाले चुनाव में बेरोजगार और गरीब निश्चित तौर पर इसका बुरा मानेंगे, इनको सबक सिखायेंगे । मेरा आग्रह है कि आप केवल इस पर स्पष्ट रूप से देख लें और सरकार से दिलाने का काम करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : महोदय, हमने इनको बताया कि सरकार के द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं और इनको तो जानकारी है, अध्ययन करते हैं कि स्वयं सहायता भत्ता, नौजवानों से शुरू होता है और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से लेकर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन योजना, इन्दिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना नेशल, पेंशन स्कीम इतनी सारी योजनाएं हैं तो इस तरह का इनका जो वक्तव्य है उसके लिए कहेंगे कि ये वापस लें सरकार पूरी गंभीरता के साथ विचार कर रही है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, अटल पेंशन योजना को पहले समझ लें और दिव्यांगता के लिए हम मांग रहे हैं जो उनका पेंशन चार सौ रुपया है उससे नहीं संभव है निश्चित तौर पर जब तक वे बेरोजगार हैं तब तक सरकार उनका वहन करे इसमें

कौन बड़ी चीज हम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं । मेरा आग्रह है, नहीं तो वोटिंग करवा दिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : संकल्प वापस लीजिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं लेंगे । यह दिव्यांगता वाली बात है । आप समझ रहे हैं कि चार सौ रुपया से कुछ होने वाला नहीं है । मानवता की बात है, आप लोग कृपया वोटिंग में साथ दें । वोटिंग करा दीजिये सभापति महोदय ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : स्पष्ट उत्तर दिए हैं, एक बार और इनको उत्तर बतला दीजिये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : इनको हम सारा लिखित भेजवा देंगे और डिटेल में पूरे विवरण के साथ और हम आग्रह करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : पहले चीजों को आप खुद ही मंत्री जी जान लें, आप नहीं समझ पा रहे हैं कहीं न कहीं अन्यथा नहीं लेंगे, सदन है, दिव्यांगता वाली बात है । बेरोजगार दिव्यांग कहाँ से 4 सौ रुपया में देगा ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : हम तो बता दिए कि अभी ऐसी कोई योजना कार्यान्वित करने के लिए नहीं है इसलिए संकल्प को वापस लें, आपसे आग्रह है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : चलिए आप वापस लें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं, हम वोटिंग कराना चाहेंगे ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): प्रश्न यह है कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वृद्धावस्था में आर्थिक संबल हेतु राज्य के दिव्यांग सहित सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार होने या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो पहले हो) अपने स्तर से प्रीमियम का भुगतान कर अटल पेंशन योजना के तहत आच्छादित कर लाभ दिलावे । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य का संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैंने कहा था कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है लेकिन वोटिंग नहीं हुई ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह): अब गाड़ी आगे निकल गयी है ।

क्रमांक 29 श्री विजय कुमार खेमका

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पूर्णिया शहर अंतर्गत रंगभूमि मैदान का नामकरण भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान करे । ''

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मैदान का नामकरण कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नहीं किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आन-बान और शान हैं और देश के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने देश और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम किया है । क्रमशः

टर्न : 07/कृष्ण/28.11.2019

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, मेरा एक आग्रह है कि इसका नाम सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा जाय ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, कला संस्कृति विभाग के अधीन यह काम नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, एक आग्रह है कि यदि यह कला संस्कृति विभाग के अधीन नहीं है तो जिस किसी विभाग से हो सकता है, उस विभाग को माननीय मंत्री वहां भिजवाने का काम करें ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : ठीक है । माननीय मंत्री वहां भिजवाने का काम करेंगे । आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक -30 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक -31 श्री मनोहर प्रसाद सिंह</u>

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अधिकृत हैं ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत भेड़मारा ग्राम पंचायत के राघोपुर गांव पूर्वी सीमांत रेलवे

के कटिहार तेजनारायणपुर रेलवे लाईन के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ बसा हुआ है जिसके आर-पार जाने के लिये राघोपुर के पास भीतरीगामी पुल के निर्माण की सिफारिश रेल मंत्रालय, भारत सरकार से करे ।"

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी,कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सूचित करना है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अंतर्गत भेड़वारा ग्राम पंचायत के रोघापुर ग्राम पूर्वी सीमांत रेलवे के कटिहार तेजनारायणपुर रेलवे लाईन के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ बसा हुआ है, जिसके आर-पार जाने के लिये राघोपुर के पास भीतरीगामी पुल का निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है । अतएव उक्त कार्य कराने हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रायल, भारत सरकार से अनुरोध करेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार : सरकार को धन्यवाद देते हुये मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक - 32 श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव</u>

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह अधिकृत हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत एन0एच0 पिपरा से कल्याणपुर जानेवाली आर.डब्ल्यू.डी. पथ का पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण कराकर निर्माण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण की नीति की समीक्षा कर नया पथ अधिग्रहण नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नया पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरांत अग्रेतर कारवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, कुछ भी तो सकारात्मक जवाब देना चाहिए । वह पथ दो विधान सभा हेडक्वार्टर को जोड़ता है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मेरा एक नंबर पर संकल्प था । उस समय माननीय मंत्री जी सदन में नहीं थे । मैने अपना संकल्प पढ़ दिया था । माननीय मंत्री जी है, जवाब दिलवा दिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अभी आप बैठ जाइये ।

क्रमांक-33 श्री सुधीर कुमार

श्री सुधीर कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत झाझा हावड़ा मेन रेल लाईन से लछुआर (भगवान महावीर जन्मस्थली) होते हुये लखीसराय-गया रेल लाईन में जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे । "

श्री संतोष कुमार निराला : सभापति महोदय, लछुआर भगवान महावीर की जन्मभूमि है जहां पूरे वर्ष अनेक राज्यों के तीर्थयात्री लछुआर दर्शन के लिये आते हैं । झाझा हावड़ा मेन रेल लाईन से लछुआर होते हुये लखीसराय गया रेल लाईन में जोड़ने से इस क्षेत्र का विकास होगा तथा तीर्थयात्रियों को भी सुविधा होगी ।

अतएव जमुई जिलान्तर्गत झाझा हावड़ा मेर रेल लाईन से लछुआर भगवान महावीर जन्म स्थली होते हुये लखीसराय गया रेल लाईन में जोड़ने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करे ।

श्री सुधीर कुमार : धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-34 डा0 अशोक कुमार

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री मदन मोहन तिवारी अधिकृत हैं ।

श्री मदन मोहन तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रस्तावित अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना समस्तीपुर रोसड़ा के मध्य रोसड़ा मुख्यालय के निकट करावे ।"

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल सरायरंज मौजा रामनगर नरगोगी में कुल रकबा 9.6 एकड़ अर्जित अधिशेष घोषित

भूमि प्रस्तावित भूमि बिहार भूमि सुधार अधिनियम सीमा के निर्धारण अधिशेष घोषित अर्जित भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को नि:शुल्क अन्तर्विभागीय हस्तांतरण की गयी । उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 38/2016- 3002 दिनांक 28.06.2019 निर्गत स्वीकृत्यादेश से समस्तीपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्वीकृति तथा संसाधन भवनों के निर्माण कार्य के लिये 73.13 करोड़ मात्र की अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

उक्त हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा भवन आदि का निर्माण प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है एवं वर्तमान सत्र 2019-20 के लिये तत्काल मुजफ्फरपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में पठन-पाठन भी आरंभ कर दिया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मदन मोहन तिवारी : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक -35 श्री आबिदुर रहमान</u>

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री मो0 आफाक आलम अधिकृत हैं ।

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखंड के मटियारी चौक से कटहरा-तिरहुत बिट्टा महादलित टोला होते हुये पैन टोला जानेवाली सड़क में प्रेमाघाट पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मति करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित अररिया जिला जिला के अररिया प्रखंड के मटियारी चौक से कटहरा-तिरहुत बिट्टा महादलित टोला होते हुये पैन टोला जानेवाली सड़क में प्रेमाघाट पर क्षतिग्रस्त पुल का आवश्यक मरम्मति कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

मो0आफाक आलम : धन्यवाद । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक -36 श्रीमती सुनीता सिंह चौहान - अनुपस्थित ।

क्रमांक-37 श्री सुबाष सिंह

श्री सुबाष सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज प्रखंड के खवाजेपुर, बैरिया मनझरिया, गौसिया, माघी, निमुईया, बलुही बाजार गांवों को गंडक नदी के कटाव से बचाने हेतु मलाही टोला से मनझरिया तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं पायलट चैनेल का निर्माण करावे । "

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ 2019 अवधि के पश्चात् मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल नि:सरण, गोपलगंज की अध्यक्षता में गठित कटाव निरोधक समिति द्वारा प्रश्नगत स्थलों का निरीक्षण कर बाढ़,2020 पूर्व निरोधक कटाव कार्य की अनुशंसा की गयी । तत्पश्चात् राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के द्वारा भी उक्त कटाव निरोधक कार्य एजेंडा नंबर-154/104//2020 की अनुशंसा की गयी । तत्काल उपलब्ध निधि के अंतर्गत योजना समीक्षा समिति द्वारा विभिन्न नदियों के तटबंधों पर प्रस्तावित सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर क्रियान्वयन की प्रक्रिया की जा रही है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबाष सिंह : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है, वहां एक दुर्घटना घट गयी थी ठीकेदार के साथ, जिसके वजह से आज तक अधीक्षण अभियंता,कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता सभी लोग एक्यूज्ड बन गये, नदी का चैनल अपने-आप निरंतर बहते रह गया तीन महीनों तक जिसके वजह से हजारों एकड़ में लगी गन्ना की लहलहाती फसल कटाव में विलिन हो गयी और आधा दर्जन से अधिक गांव आज भी कटाव के कगार पर हैं । महोदय, अगर उसी चैनल की लंबाई को बढ़ा दिया जाय तो निश्चित रूप से आधे दर्जन गांव कटाव से बच जायेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर भी उनसे आग्रह कर चुका हूं । इसी के साथ में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय मंत्री जी, आप देख लीजिये । वहां जो घटना घटी है।

श्री संजय कुमार झा : हां, हां उसी बैक ग्राउंड में ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-8/अंजनी/28.11.19

क्रमांक-38, श्री विनय बिहारी

श्री विनय बिहारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के किसान सलाहकार के पद को स्थायीकरण करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करे ।"

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, विभागीय राज्यादेश संख्या-1304 दिनांक 08.03.2010 द्वारा किसान सलाहकार योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है । योजना प्रावधानों के अनुसार पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायत में प्रगतिशील किसानों को किसान सलाहकार के रूप में चयन किया गया है । किसान सलाहकार का चयन प्रति माह 2500/-रूपये निर्धारित मापदंड के आधार पर किया गया था । वर्तमान में 12हजार रूपये प्रति माह मानदेय भुगतान किया जा रहा है । किसान सलाहकार का चयन सेवा प्रदायी केन्द्रक के रूप में किसानों को प्रति कार्य दिवस 6 घंटे कृषि संबंधी परामर्श देने हेतु किया गया है । किसान सलाहकारों को स्थायीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किसान सलाहकारों के चयन का उद्देश्य किसान सलाहकार योजनानान्तर्गत प्रगतिशील किसानों का चयन कर कृषि विभागीय योजनाओं का किसानों के बीच प्रचार-प्रसार करना है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय बिहारी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-39, श्री अमीत कुमार

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अधिकृत हैं श्री आनंद शंकर सिंह जी ।

श्री आनंद शंकर सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 30 अगस्त 1942 को क्रांति के ऐतिहासिक शहादत स्थल तरियानी छपरा, जिला शिवहर में शहीदों के नाम सहित शहीद स्मारक बनवाये।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, यह प्रश्न नगर विकास विभग में गया था और नगर विकास से पंचायती राज में गया और पंचायती राज से अभी तक आया नहीं है । मैं माननीय सदस्य को लिखित संकल्प की सूचना भेजवा दूंगा ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, सूचित कर दिया जाय, मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-41, श्री महबूब आलम

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के शिकारपुर पंचायत के कुचिलयामोर गांव से बहने वाली नागर नदी पर चचरी पुल के स्थान पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित राज्यकोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-76 पर अंकित परमापुर से कुचियामोर पथ से आरेखन में अवस्थित है । इस पथ के साथ अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत तैयार करा लिया गया है, तदोपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महबुब आलम : महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-42, श्री अशोक कुमार(208)

श्री अशोक कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड में बक्सर कैनाल पर वभनपुरवा से अकोढ़ीओला तक क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मति शीघ्र करावे।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड में बक्सर कैनाल पर वभनपुरवा से अकढ़ोओला तक पथ की मरम्मती हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ पुनरीक्षण नीति,2018 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, स्वीकृतिपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अशोक कुमार : महोदय, मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-43, श्रीमती अमिता भूषण

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अधिकृत हैं अजीत शर्मा जी ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिले के बीरपुर प्रखंड अंतर्गत जी0टी0एस0एन0वाई0(ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना) सूची में प्रस्तावित गोपालपुर-मरवबा के बीच बैती नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल का निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि यह कबतक कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, डी0पी0आर0 बन रहा है तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-44, श्री नन्द कुमार राय

श्री नन्द कुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 के कंडिका (08) एवं (09) को विलुप्त कर चौकीदारों की सेवा पूर्व की भांति जिलाधिकारी के अधीन करावे ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, राज्य के चौकीदार संवर्ग की भर्त्ती सेवा शर्त्तों, कर्त्तव्य एवं दायित्व का विनियमित करने के निमित बिहार चौकीदार संवर्ग संशोधन नियमावली,2014 बनायी गयी थी । परन्तु समय के साथ-साथ राज्य के विभिन्न जिलों में से मांगे गये मार्गदर्शन एवं दैनिक कार्यों के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाई के परिप्रेक्ष्य में उक्त नियमावली में संशोधन की आवश्यकता लगातार महसूस की

जा रही थी । चौकीदार संवर्ग के कर्मी स्थानीय स्तर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के सहायक एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं । अपनी क्षेत्र की सभी छोटी-बड़ी गतिविधियों की सूचना इस संवर्ग के कर्मियों द्वारा स्थानीय थाना को दिया जाता है । इस प्रकार चौकीदार संवर्ग के कर्मी व्यवहारिक रूप से थाना, पुलिस, प्रशासन के नियंत्रण में काम करते हैं, किन्तु संवर्ग नियमावली में इस संवर्ग के कर्मी के परिचालानात्मक नियंत्रण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं रहने के कारण इन पर नियंत्रण में व्यवहारिक कठिनाई हो रही थी । इस संवर्ग के सदस्यों के बीच वेतनादि का भुगतान संबंधी अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त करने की पूर्व में व्यवस्था थी, ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था में से वेतन भुगतान में प्रायः विलम्ब होता है । इन सभी समस्याओं एवं कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के ससमय वेतन भुगतान एवं उनपर प्रभावी नियंत्रण के निमित ही बिहार चौकीदार संवर्ग निमयावली,2006 समय-समय पर यथासंशोधन में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु बिहार चौकीदार संवर्ग संशोधन नियमावली,2019 गठित की गयी है, जिसके द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली,2006 के नियम-5 के उप नियम-7 के परन्तुक के पश्चात् दो नये उप नियम क्रमशः 8 एवं 9 जोड़े गये हैं । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नन्द कुमार राय : सभापति महोदय, जब से पुलिस अधीक्षक के अधीन चौकीदार का हुआ है, उसमें चौकीदारों की बहाली बिट में होता है, बिट में ड्यूटी करने की प्रक्रिया है, चाहे सरकार का निदेश भी हो लेकिन पुलिस अधीक्षक के अधीन होने के बाद उसको जिला में बुलाकर काम लिया जाता है, अन्य काम लिया जाता है, डाक सेवा लिया जाता है, थानेदार अपने डेरा पर बुलाकर ड्यूटी कराता है, इससे चौकीदारों का शोषण हो रहा है, इसपर सरकार से मेरी मांग है कि इस पर पुनः विचार किया जाय और जिला पदाधिकारी के ही अधीन रखा जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-9/राजेश/28.11.19

<u>क्रमांकः 45, श्री प्रभुनाथ प्रसाद</u>

श्री प्रभुनाथ प्रसादः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम मुख्य पथ से बलीगॉव तक सड़क की मरम्मति कार्य करावें । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ आरा (भोजपुर) जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथ से बलिगॉव पथ की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है । विषयांकित पथ की स्वीकृति पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–टू अन्तर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है । तदनुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद: मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 46, श्री वशिष्ठ सिंह

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): इस गैर सरकारी संकल्प को मा0सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद पूछेंगे।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत करगहर–बड्हरी–अकोढ़ा पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करावें।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: सभापति महोदय,पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर नया अधिग्रहण नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नये अधिग्रहण नीति गठन होने के बाद अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन ही सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 47, श्री नौशाद आलम ।

श्री नौशाद आलम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियॉ जिला के वायसी से बहादुरगंज होते हुए दिघलबैंक प्रखंड में नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क का शीघ्र मरम्मति करावें ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: सभापति महोदय, पूर्णिया जिला के वायसी से बहादुरगंज होते हुए दिघलबैंक प्रखंड में नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क एस0एच0-99 की कुल लंबाई 77.10 किलोमीटर है जिसमें आरंभिक 28.50 किलोमीटर तक जीरो से 28. 50 किलोमीटर पथ प्रमंडल पूर्णियॉ, शेष 48.60 किलोमीटर पथ प्रमंडल किशनगंज अन्तर्गत पड़ता है । पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 में संधारित है, पथ की स्थिति अभी अच्छी है,संवेदक को सतत संधारण का निदेश दिया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नौशाद आलम : सभापति महोदय,पिछले अगस्त महीना में वहॉ पर भूख हड़ताल भी किया गया था, कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे,हमलोग भी गये थे,हालत बहुत ही जर्जर है और अगर विभाग से यह दिया गया है कि स्थिति अच्छी है, तो कुछ ही अच्छी होगी लेकिन बंगाल बोर्डर पर 15-20 किलोमीटर बहुत ही खराब है।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): माननीय मंत्री जी, इसे दिखवा लेंगे ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, निदेश दिया गया है संवेदक को कि वे सतत निगरानी रखें ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): निदेश दिया जा चुका है ।

श्री नौशाद आलम : मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन ही सहमति से माननीय सदस्य का संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक: 48, डा0 अब्दुल गफूर</u>

डा0 अब्दुल गफूर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के भेलाही गॉव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करें ।"

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भेलाही ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत है एवं किराये के भवन में संचालित है । इसके भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है । वर्तमान में भेलाही ग्राम से तीन, चार किलोमीटर की दूरी पर ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलवा एवं कुंद्रा से आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है । राशि उपलब्ध होने के उपरान्त स्वास्थ्य केन्द्र भेलाही का भवन निर्माण कराया जायेगा । भेलाही ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

डा0अब्दुल गफूर : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन ही सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 49, श्री जफर आलम ।

श्री जफर आलम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकारसे अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के गौरद नदी के खमहौटी घाट पर पुल का निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गौरदा कोशीधार खमहौटी घाट पर उच्चस्तरीय पुल स्वीकृत है,जो निर्माणधीन है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जफर आलम : महोदय, कोई पुल वहाँ पर निर्माणधीन नहीं है ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): पुल हो जायेगा । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है । आप प्रस्ताव को वापस तो ले लें ।

श्री जफर आलम : मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन ही सहमति से माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय,श्री ललन पासवान जी की तबियत ठीक नहीं है । इसलिए आग्रह होगा कि श्री ललन पासवान जी का संकल्प को पहले ले लिया जाय ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): ठीक है । माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी के संकल्प को अब लेता हूँ ।

क्रमांक : 73, श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के ग्राम-रेहल में मॉडल थाना का निर्माण करावें ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: सभापति महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के ग्राम रेहल में भौगोलिक,प्रशासनिक एवं नक्सली गतिविधियों को देखते हुए थाना का सृजन एवं उनके संचालन हेतु कुल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रशासनिक पदवर समिति से प्राप्त है। सम्प्रति रेहल में थाना सृजन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री ललन पासवान : बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन ही सहमति से माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 50, श्री राज कुमार साह

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक: 51, श्री सैयद अबु दौजाना ।

श्री सैयद अबु दौजाना: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के चेरौत प्रखंडन्तर्गत श्री लखन नारायण स्मारक इन्टर स्तरीय उच्च विद्यालय में अतिक्रमण मुक्त कराते हुए बाउन्ड्रीवाल गेट सहित निर्माण करावें ।"

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत श्री लखन नारायण स्मारक इन्टर स्तरीय उच्च विद्यालय चेरौत के विद्यालय परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु विधि सम्मत अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक-2063 दिनांक 18.11.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीमामढ़ी को निदेशित किया गया है । अतिक्रमण मुक्त होने के उपरान्त बाउन्ड्री वॉल निर्माण की जायगी । अत: आग्रह है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री सैयद अबु दौजाना: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन ही सहमति से मा0 सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 52 श्री मुजाहिद आलम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक: 53, श्री अभय कुमार सिन्हा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक: 54, श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वे राजा शल्हेस पर डाक टिकट जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा करें ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से ही डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया जाता है । अतएव राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जो

राजा शल्हेस पर डाक टिकट का प्रस्ताव भेजा जाय । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, ठीक है प्रस्ताव नहीं है तो सरकार को केवल अनुशंसा कर देने पर राजा शल्हेस को गॉव-गॉव में पूजा जाता है और डाक टिकट बराबर जारी करती है भारत सरकार, तो मेरा आग्रह होगा कि राज्य सरकार से एक पत्र चला जाय भारत सरकार को, तो भारत सरकार राजा शल्हेस पर डाक टिकट जारी कर देगी । इसलिए पुनः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, पूरा बिहार में राजा शल्हेस का पूजा होता है, सरकार को एक पत्र लिख देने में क्या आपत्ति है, भारत सरकार को तो राज्य सरकारें लिखते रहती हैं, तो यहॉ से एक पत्र लिख दिया जाय भारत सरकार को तो राजा शल्हेस पर डाक टिकट हो जायेगा सर, सम्मान मिलेगा राजा शल्हेस पर ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, भारत सरकार को किसी भी महापुरुषों पर टिकट जारी करने के लिए किसी भी राज्य सरकार के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और माननीय सदस्य जानकार है,पुराने है, भारत सरकार में जा करके इन चीजों को परशू करेंगे, तो वहॉ से भी यह निकल जा सकता है,इसलिए आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री संजय सरावगी : ठीक है । मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह): सदन ही सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-10/सत्येन्द्र/28-11-19

<u>क्रमांकः 55, श्री चन्द्रसेन प्रसाद</u>

श्री चन्द्रसेन प्रसादः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के राजस्व ग्राम धनहर में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एकंगरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से धनहर गांव की दूरी मात्र 3 कि0मी0 है एवं जहां की जनसंख्या लगभग 1200 के आस-पास ही है । धनहर ग्राम में स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत नहीं है । एकंगरसराय अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से धनहर ग्राम की दूरी अत्यंत कम होने की स्थिति में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की कोई भी योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से निवेदन होगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) चलिये चन्द्रसेन जी, वापस लीजिये अपना संकल्प ।

श्री चन्द्रसेन प्रसादः सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है सरकार की यह उपलब्धि है लेकिन धनहर राजस्व ग्राम है और उसके चारों तरफ कई टोले हैं मिला-जुलाकर वह 5 हजार की आबादी कवर करता है । इसलिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार कीजिये, हम फिर मिलेंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 56, श्री अनिल कुमार यादव

श्री अनिल कुमार यादवः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम खजुरी में बिननिभा नदी के गोढ़ियारी घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ खजुरी मिलिक बसावट अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्माणाधीन सुकेला मोड़ से खजुरी मिलिक पथ से प्राप्त हो जायेगी एवं दूसरी तरफ खजुरी दलित महादलित टोला बसावट अवस्थित है जिसका सम्पर्कता शीर्ष राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत यात्री सेड दो मुहाना से चौराहा हाट पथ से प्राप्त हो जायेगी जो एकरारनामा की प्रक्रिया में है । सम्प्रति इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अनिल कुमार यादवः सभापति महोदय, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था एक बार और माननीय मंत्री जी ने भी मंगवाया था चेकलिस्ट, वह आया हुआ है । यहां तो सम्पर्कता का सवाल नहीं है, दोनों तरफ सम्पर्कता है लेकिन उस पुल के अभाव में 15-20 कि0मी0 लोगों को घुमकर जाना पड़ता है और वे एक ही पंचायत के लोग हैं तो इसलिए वह जरूरी है । अभी वहां चचरी का पुल है, कई बार नाव दुर्घटना पहले भी हो चुकी है, 5-7 लोग मर भी चुके हैं तो सम्पर्कता एक अलग चीज है फिर उस नदी पर पुल एक अलग सवाल है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपके आदेश पर चेक लिस्ट आया था इसलिए उस पर आप ध्यान देकर इसको बनवा दीजियेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ ही मैं आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 57,श्री जितेन्द्र कुमार

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांकः 58,श्री राजेश कुमार

श्री राजेश कुमारः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड अन्तर्गत पंचायत दुलारे के ग्राम जगदीशपुर में बटाने नदी पर पुल निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के पास जगदीशपुर ग्राम है जहां इसे प्रधानमंत्री ग्रम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित पथ विशनपुर गोलहा पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । इस गांव के बाद महाने नदी है जिसके दूसरी तरफ झारखंड राज्य है और उक्त आरेखन किसी कोर नेटवर्क में नहीं है इसलिए इसके निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राजेश कुमारः सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि ये बात सही है कि उस पुल का एक कोना झारखंड में पड़ता है लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से ये जरूर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उससे सबसे ज्यादा लाभ हमारे बिहार की जनता को है । यह औरगांबाद क्षेत्र का है और देव छठ की जो महत्ता है वहां पुल बन जाने से इसकी महत्ता और बढ़ेगा और सरकार भी उसको कई पर्यटक सर्किट से जोड़ रही है उसे इसलिए मेरा आग्रह है कि विशेष तौर पर कोई भी पहल हो, सरकार पहल करे और उस पर पुल बनाने की दिशा में कार्य करें । इन्हीं आग्रह के साथ मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 59, श्री शकील अहमद खां

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांकः 60, श्री रामचन्द्र सहनी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांकः 61 श्री उमेश सिंह कुशवाहा

श्री उमेश सिंह कुशवाहाः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के जन्दाहा प्रखंड अन्तर्गत जन्दाहा पंचायत एवं अरनियां पंचायत को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करे ।''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः सभापति महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3 के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी से नगर निकाय के रूप में गठित होने वाले क्षेत्रों के प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3(ग) में यह प्रावधान है कि छोटा शहर अर्थात नगर पंचायत की दशा में उस क्षेत्र में जनसंख्या 12 हजार और उससे अधिक किन्तु 40 हजार से कम होगी । उक्त प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि उस क्षेत्र में गैर कृषि जनसंख्या कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी । खंड-3, बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के उक्त प्रावधानों के आलोक में नगरपालिका के गठन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गैर कृषि जनसंख्या में शामिल को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं देश के अन्य राज्यों में इस संबंध में किये गये प्रावधानों की समीक्षा एवं अध्ययन कर वर्तमान प्रावधान को संशोधित करने पर विचार किया जा रहा है । तदुपरांत निर्धारित अहर्ता के आलोक में ही विचारोपरांत नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहाः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत बनने का जो नियमावली है महोदय, हमारा जो जन्दाहा क्षेत्र है वह उसके लिए सभी पात्रता को पूरा करता है और जो इसके लिए नियमावली में संशोधन लाना है, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द नियमावली में संशोधन लाकर सरकार इसको करें । इसी आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 62, श्रीमती सावित्री देवी

श्रीमती सावित्री देवीः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करती हूँ किः

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला अन्तर्गत चकाई प्रखंड में अजय नदी के महारायडी घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ उरमां गांव अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित बालागाउडी से गौजी उरवा पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ महराजडीह गांव अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत चकाई के नजदीक से पाडेंडीह पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अतः इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती सावित्री देवीः सभापति महोदय, यह पुल बहुत अति आवश्यक है लेकिन मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–11/आजाद/28.11.2019

क्रमांक – 63 श्री सत्यदेव सिंह

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिलान्तर्गत कुर्था विधान सभा क्षेत्र के कुर्था बाजार में प्रतिदिन हो रहे महाजाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाजार के पूरब से नहर होते हुए बाईपास सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिलान्तर्गत कुर्था विधान सभा निर्वाचन क्षेत्राधीन कुर्था बाजार में घनी आबादी के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति हेतु बाजार के पूरब से नहर होते हुए बाईपास पथ निर्माण हेतु अनुमानित लम्बाई 3 कि0मी0 का डी0पी0आर0 बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त निविदा का कार्य कराने का लक्ष्य है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक – 64 श्रीमती लेशी सिंह

श्रीमती लेशी सिंहः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 25 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्णिया जिला के धमदाहा थाना गोलीकाण्ड में शहीद

हुए अमर शहीद मोती मंडल, बालो मारकण्डे, हेमनारायण यादव, योगेन्द्र नारायण सिंह, भागवत महतो, निवास पाण्डे, जयमंगल सिंह, बाबूलाल मंडल, कुसुमलाल आर्य, परमेश्वर दास, बालेश्वर पासवान, शेख इशहाक, लखीभगत, रामश्वेर पासवान कुल चौदह अमर शहीद के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को शहादत दिवस पर धमदाहा शहीद स्मारक में आयोजित होती है, श्रद्धांजलि समारोह को राजकीय समारोह का दर्जा प्रदान करावे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय सभापति महोदय, दिवंगत विशिष्ट व्यक्तियों की जयन्ती को राजकीय समारोह के रूप में घोषित किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् का निर्णय भेट होता है । 25 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्णिया जिला के धमदाहा थाना गोलीकाण्ड में शहीद हुए अमर शहीद मोती मंडल, बालो मारकण्डे, हेमनारायण यादव, योगेन्द्र नारायण सिंह, भागवत महतो, निवास पाण्डे, जयमंगल सिंह, बाबूलाल मंडल, कुसुमलाल आर्य, परमेश्वर दास, बालेश्वर पासवान, शेख इशहाक, लखीभगत, रामश्वेर पासवान कुल चौदह अमर शहीद के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को शहादत दिवस पर धमदाहा शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होती है । इस श्रद्धांजलि समारोह को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

इसलिए मैं माननीया सदस्या से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती लेशी सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । मैं माननीय मंत्री जी से पुनः विचार करके वहां पर राजकीय समारोह मनाया जाय । चूँकि मुझे खुशी है कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी यहां जो शहीद हुए हैं पटना में उसका राजकीय समारोह होता है । इसलिए वहां धमदाहा में भी जो 14 व्यक्ति शहीद हुए हैं, उनके शहादत के बदौलत आज हमलोग इस रूप में हैं । मैं पुनः माननीय मंत्री जी से विचार करने के लिए कि वहां पर राजकीय समारोह मनाने का आदेश दें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक - 65 श्री शमीम अहमद</u>

श्री शमीम अहमदः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला (मोतिहारी) के बंजरिया प्रखंड अन्तर्गत पचरुखा पूर्वी पंचायत के सुन्दरपुर गाँव के सुन्दरपुर घाट के समीप आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्तर पर अवस्थित बसावट ग्राम सुन्दरपुर को पी0एम0जी0एस0वाई0 से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री शमीम अहमद : सभापति महोदय, वहां पर पुल बन जाने से सम्पर्कता जो मिली है, वह 33 कि0मी0 की दूरी करके प्रखंड आना पड़ता है । मुख्यालय आने के लिए भी लगभग 30 कि0मी0 आना पड़ता है और यह पुल बन जाने से केवल 9 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ेगी । बाढ़ आने के बाद इससे भी ज्यादा परेशानी होती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आजादी के 70 साल के बाद भी आज भी चचरी पर लोग चल रहे हैं।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप वापस लीजिए ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, सरकार गंभीर हो और वहां पर पुल बनवावें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब वापस लीजिए ।

श्री शमीम अहमद : स्वीकृति हो जाय, मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको ये स्वीकृत कर दें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : देखवा लेंगे मंत्री जी, आप संकल्प वापस लीजिए ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : देखवा लेंगे ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक – 66 श्री नारायण प्रसाद

श्री नारायण प्रसादः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत मच्छरगांवा से बसवरिया एवं टेगराहीघाट से खिरियाघाट सड़क को पथ निर्माण में अधिाग्रहण करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कराकर नया पथ अधिग्रहण नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नया पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो रही है और सड़क संकीर्ण होती जा रही है और वाहन का चलना बहुत अधिक हो गया है । इस परिस्थिति में नया जो प्रस्ताव आता है, इसके संबंध में सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार इसको अधिग्रहण करे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : वापस ले लीजिए ।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 67 श्री मो0 तौसीफ आलम

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक - 68 श्री महेश्वर प्रसाद यादव

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिला के सीमा पर त्रिमुहान घाट पर बागमती नदी के ऊपर आर. सी.सी. पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित स्थल के एक तरफ अवस्थित त्रिमुहान बसावट को पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्मित सुस्ता चौक से त्रिमुहान घाट तक पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ रतनपुरा बसावट को सरैया से रतनपुर एम0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत आरेखन पर नहीं है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 69 श्री रत्नेश सादा

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सोनवर्षा विधान सभा क्षेत्र के बनमा इटहरी प्रखंड के एन.एच.-107 मुरली चौक से खुरेसान जाने वाली जर्जर सड़क का पक्कीकरण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लम्बाई 2.20 कि0मी0 है । अभिस्तावित पथ का मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 70 – श्री अशोक कुमार सिंह

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : इसके लिए अधिकृत है श्री विनोद प्रसाद यादव जी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में एस.एच.-68 रफीगंज बाजार से होकर गुजरती है, जिससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जाम की समस्या को हल करने के लिए रफीगंज बाजार के बगल से बाईपास सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रफीगंज बाजार से बाईपास का कोई प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-12/शंभु/28.11.19

क्रमांक-71, श्री राम विशुन सिंह

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में एन0एच0-30 (देव टोला) से दावाँ तक सड़क के बीच ग्राम भटौली के सामने छेर नदी पर पुल निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन छेर नदी के एक तरफ भटौली गांव तथा दूसरी तरफ दावाँ अवस्थित है । भटौली गांव को पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत पथ एल-040/एन0एच0-30टी-01 से भटौली जिसकी लंबाई 3.172 कि0मी0 है तथा दावाँ गांव को एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत एन0एच0-30 दलौर मोड़ से सोहन टोला भाया दतनडंडी सेढ़ा टोला, चरवारनी पुलिस टोला तक पथ जिसकी लंबाई 5.300 है जिसे संपर्कता प्रदान किया

जा चुका है । भटौली एवं दावॉ गांव के आरेखन में कोई भी योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे कोर नेटवर्क में नहीं लिया गया है। अतः इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री राम विशुन सिंह : सर, भटौली और दावॉ तक रोड बन गया है बीच में मात्र पुल बनाने का है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि पुल का निर्माण करा दिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-72, श्री फैयाज अहमद

श्री फैयाज अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत ग्राम रथौस से दुधौल तक क्षतिग्रस्त धौस नदी के पूर्वी तटबंध का निर्माण यथाशीघ्र करावे ।''

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : माननीय मंत्री अभी कहीं गये हैं, आ रहे हैं ।

क्रमांक-74, श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती गुलजार देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित मटरस पंचायत में नव निर्मित कोसी बांध से मटरस और बिसनपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतिम छोर को जोड़कर राम टोल और मल्लाह टोल को सड़क संपर्कता प्रदान करे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ के निर्माण हेतु एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतएव माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

श्रीमती गुलजार देवी : संकल्प वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-75, श्री अजीत शर्मा

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्री मो0 आफाक आलम प्राधिकृत हैं ।

श्री मो0आफाक आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में महिला कॉलेज मिरजानहाट पथ के तीसरे किलोमीटर में प्रस्तावित रेल पुल का निर्माण शीघ्र करावे ।''

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भागलपुर शहर में महिला कॉलेज मिरजानहाट पथ से तीसरे किलोमीटर में प्रस्तावित रेलवे पुल के निर्माण हेतु रेलवे के मालदा डिविजन के पत्रांक-डब्लू-3420/1 बिहार, दिनांक-20.12.2018 के द्वारा गार्ड अनुमोदन हो चुका है । पुल निर्माण का डी0पी0आर0 तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, बिहार पटना के पत्रांक-111, दिनांक-12.02.2019 को अनुमोदन हेतु अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित किया जा चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन के पश्चात् निविदा निरस्तोपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा । अतः महिला कॉलेज मिरजानहाट पथ से तीसरे किलोमीटर में प्रस्तावित रेलवे पुल के निर्माण हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम : आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसका जितना जल्द से जल्द हो उसका प्रस्ताव करा दें ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : हो गया, डी0पी0आर0 तैयार हो गया ।

श्री मो0 आफाक आलम : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-76, श्री विनोद प्रसाद यादव

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर प्रदेश के सीमा से लेकर झारखण्ड राज्य के सीमा तक बिहार राज्य के एन0एच0-2 सड़क को अविलम्ब ठीक करावे ।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-02 का वर्णित पथांश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द है । राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-02 उत्तर प्रदेश की सीमा से औरंगाबाद सीमा तक 135.4 कि0मी0 का क्षेत्र संवेदक मे0 सोमा इन्डश, वाराणसी औरंगाबाद प्रा0लि0 वाराणसी को आवंटित है । पिछले वर्षा ऋतु में यह

मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं 15 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करा लिया जायेगा । राष्ट्रीय राजमार्ग-02 औरंगाबाद से चौरदाहा झारखण्ड बॉर्डर तक 69.525 कि0मी0 तक के पथांश की मरम्मति हेतु 24 करोड़ रूपये का मरम्मति का प्राक्कलन तैयार कर एन0एच0ए0आइ0 मुख्यालय नयी दिल्ली को समर्पित किया गया है । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पड़नेवाले पुलों एवं डोभी जं0 की मरम्मति के लिए एन0एच0ए0आइ0 की ओर से पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को 4.12 करोड़ रूपये की स्वीकृति उपलब्ध करायी गयी है । जिसके अन्तर्गत डोभी जं0 की मरम्मति का कार्य पूर्ण करा लिया गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 पटना के द्वारा शेरघाटी में अवस्थित क्षतिग्रस्त पुलों के मरम्मति कार्य के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है । निविदा निष्पादन के पश्चात् इसकी मरम्मति करा ली जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री विनोद प्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय बहुत ही सकारात्मक उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है लेकिन उसमें दो-तीन बातें छूट गयी है उसको संज्ञान में लाना चाहता हूँ । उसमें पांच-छः पुल धंस गया है और कई जगह पर पुल क्षतिग्रस्त रहने से एन0एच0 पर बराबर जाम लगा रहता है । इसे अविलंब ठीक कराने हेतु निदेश देने की कृपा करेंगे । इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-77, श्री अनिल सिंह</u>

श्री अनिल सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सभी रिक्त पदों पर होनेवाली नियुक्तियों के लिए होनेवाले साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने हेतु साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए प्रश्न, उत्तर और उत्तर के मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण कराने का प्रावधान करे ।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : महोदय, संबंधित आयोग परीक्षा/चयन प्रक्रिया एवं मानक के निर्धारण के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम है । इस संबंध में इन आयोगों द्वारा कोई भी प्रस्ताव अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है । अतः राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर होनेवाली नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने हेतु साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराते हुए प्रश्न उत्तर और उत्तर के मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण कराने का प्रावधान किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सम्प्रति

विचाराधीन नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदय, आप भी अवगत हैं कि इसमें कई बार प्रतिभावान बच्चे शिकायत लेकर आते हैं और इसमें सत्यता है कि मेधावी बच्चे, प्रतिभा का कभी-कभी गला घोंटा जाता है, सरकार चाहती है कि पारदर्शिता, सच्चाई और ईमानदारी से बहाली हो तो मैं इसीलिए आग्रह के साथ यह प्रस्ताव लाया हूँ कि अगर साक्षात्कार में विडियोग्राफी और प्रश्न, उत्तर और उत्तर के मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण तैयार करे । यह होगा तो जो सामने बैठे होंगे महोदय वह भी गलत करने से पहले सौ बार सोचेंगे । सरकार की चाहत है कि हम निष्ठा के साथ बहाली करें । इसको कराने में आपत्ति क्या है महोदय ? मैं प्रस्ताव इसलिए लाया हूँ ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : ठीक है, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

टर्न-13/ज्योति/28-11-2019

क्रमशः

श्री अनिल सिंह : मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि करप्शन पर विराम लगे, ऊंगलियाँ नहीं उठे, इसलिए सरकार के संज्ञान में लाया हूँ । सरकार इस पर अमल करे और इसी सुझाव के साथ माननीय मंत्री महोदय, एनरजेटिक हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ नया बदलाव हो । इसलिए मैं प्रस्ताव लाया हूँ । मेरे इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करे और इसी सुझाव के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमाँक-78 श्री सत्य नारायण सिंह</u>

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी अनुमंडल में जिलाधिकारी, रोहतास को एक सप्ताह में दो दिन बैठने हेतु कैम्प कार्यालय का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत तीन अनुमंडल कार्यालय है जिला पदाधिकारी का मुख्यालय सासाराम में है । जिला पदाधिकारी का पदस्थापन जिला मुख्यालय सासाराम में है एवं जिला मुख्यालय से ही तीनों अनुमंडल कार्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है । साथ ही आवश्यकतानुसार अनुमंडल कार्यालय में जाकर जाँच आदि कार्य किया जाता है । डिहरी अनुमंडल से

जिला मुख्यालय के बीच सुगम यातायात की पर्याप्त सुविधा तथा सभी विभागों का जिला मुख्यालय सासाराम में ही है ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी को डिहरी अनुमंडल में दो दिन बैठने हेतु कैम्प कार्यालय के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। जिलाधिकारियों द्वारा सप्ताह में दो दिन प्रत्येक अनुंमडल कार्यालय में बैठने की कोई नीति, नियम, निर्देश तथा परम्परा भी नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : चलिए वापस ले लीजिये जब ऐसा प्रावधान ही नहीं है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा कि वहाँ कोई अधिकारी का वरीय अधिकारी का कार्यालय नहीं हैं । वहाँ डी.आई.जी. का कार्यालय है, वहाँ का एस.पी. कार्यालय और आवास दोनों है और डिहरी ऑन सोन में डी.आई.जी. बैठते हैं एस.पी. बैठते हैं हम चाहते हैं चूँकि है, लेकिन जिला पहले हम मांगते थे जिला के सब अर्हता वहाँ पूरा करता है । नौहट्टा से डिहरी हो कर के जाता है इसलिए मेरा आग्रह था । इस आलोक में कि इसपर विचार हो हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमाँक-79 श्री लाल बाबू राम</u>

श्री लाल बाबू राम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंडान्तर्गत ढोली स्टेशन के पश्चिम गुमटी पर ओभर ब्रिज का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय से अनुशंसा करे । ''

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया है कि मुजफ्फरपुर जिला के अतर्गत सकरा प्रखंडान्तर्गत ढोली स्टेशन के पश्चिम गुमटी पर ओभरब्रिज का निर्माण कराने के संबंध में स्थल निरीक्षण एवं अंचल अधिकारी, सकरा के प्रतिवेदन पत्रांक 642 दिनाँक 21-11-2019 के अनुसार ढोली स्टेशन के पश्चिम गुमटी पर ओभरब्रिज निर्माण आवश्यक है एवं भूमि उपलब्ध है अतएव उपरोक्त स्थल पर ओभरब्रिज के निर्माण हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब तो हो ही गया, अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री लाल बाबू राम : मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं और अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक -80 श्री शाहनवाज आलम - माननीय सदस्य अनुपस्थित

क्रमॉक -81 श्री ललित कुमार यादव

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नारायणपुर से बेहटा पथ एवं नैनाघात से बानेस्वरी स्थान पथ का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग में करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर नया पथा अधिग्रहण नीति का गठन प्रक्रियाधीन है । नया पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के उपरांत समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, मात्र बेहटा से नारायणपुर मात्र 1 कि.मी. पथ है और नैनाघात से बानेस्वरी स्थान 6 कि.मी. रोड है और एसा.एच. और एनर.एच. को जोड़ने वाली है और यह पथ अधिग्रहण इसलिए करिये कि यह एस.एच. और एन. एच. को जोड़ती है और सरकार जो विभाग जवाब बनाकर भेज देगा वही पढ़ देगी तो तब तो इसका कोई मतलब नहीं है । 1 कि.मी. पथ है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अब तो आश्वासन मिल ही गया, समीक्षा होगी और उसके अनुरुप कार्रवाई होगी ।

श्री ललित कुमार यादव : चलिए, आपके सकारात्मक जवाब के आलोक में हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए अधिसूचित कार्य के पूर्ण होने तक सदन की सहमति से सदन की समय सीमा बढ़ायी जाती है ।

(सदन की सहमति हुई ।)

क्रमॉक 82 श्रीमती आशा देवी

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद् दानापुर के वार्ड सं0-11,12,13,19,20,21,34,37,38,39,40 को जल

जमाव की समस्या से निदान हेतु हाथीखाना मोड़ से घुड़दौड़ तक नाला निर्माण करावे । ''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी नगर निकाय के अंतर्गत इस प्रकार की योजना का क्रियान्वयन उस नगर निकाय के आंतरिक संसाधनों एवं विभिन्न मदों के उपलब्ध राशि से किया जाता है । इसके लिए संबंधित नगर निकाय द्वारा अपने क्षेत्र के संबंधित सभी वार्ड क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस निकाय को उपलब्ध सीमित राशि के आधार पर विभिन्न योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है । तत्पश्चात् नगर निकाय द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकता की राशि को उपलब्धता के अनुसार ही ऐसी योजना को नगर निकाय द्वारा पारित कर क्रियान्वित किया जाता है चूँकि वर्तमान में यह वर्णित योजना नगर परिषद् द्वारा पारित नहीं है, पारित नहीं किया गया है अतः भविष्य में यदि नगर परिषद्, दानापुर द्वारा इस योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यदि इस योजना को चयन करते हुए पारित किया जाता है तो नगर परिषद्, दानापुर को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित कराय जायेगा ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब वापस ले लीजिये अब तो हो ही गया ।

श्रीमती आशा देवी : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस वर्ष जो पानी आया पूरे दानापुर की जनता के सामने कितनी समस्या आयी कि लोग झेलते झेलते परेशान हुए और माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप चाहियेगा तब ही निदान हो सकता है । नगर परिषद् पर छोड़ने से कभी नहीं होगा। 15 साल से लोग झेल रहे हैं । माननीय मंत्री जी समय बतला दें कि क्या करेंगे नहीं करेंगे ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, म्रंत्री : सभापति महोदय, इसको क्रियान्वित करने के लिए हमलोगों ने दिया है कि इसको किया जा सकता है लेकिन अभी विचाराधीन है । इस पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्या से वापस करने का आग्रह हे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप वापस लीजिये ।

श्रीमती आशा देवी : मैं वापस लेती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या का प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न : 14 /कृष्ण/ 28.11.2019

क्रमांक - 83 श्री जनार्दन मांझी

श्री जनार्दन मांझी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत शंभूगंज प्रखंड के बरूआ नदी के सहुढ़ा एवं चन्द्रपुरा सहुढ़ा ग्राम के निकट आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावें । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल सहुढ़ा एवं चन्द्रपुरा सहुढ़ा ग्राम के बीच अवस्थित है । नदी के एक तरफ से बसावट सहुढ़ा ग्राम को शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित L067 जलानी बसबिट्टा पथ से मोहनपुर गढ़ी पथ एवं दूसरी तरफ के बसावट चन्द्रपुरा सहुढ़ा ग्राम को मुख्य मंत्री ग्राम्य संपर्क योजनान्तर्गत निर्मित गोविंदपुर नहर मोड़ से चन्द्रपुरा सहुढ़ा पथ से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल के आरेखन में कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसको किसी कोर नेटवर्क में नहीं शामिल किया गया है । इसके निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जनार्दन मांझी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि अभिस्तावित पुल सहुढ़ा एवं चन्द्रपुरा सहुढ़ा ग्राम के बीच अवस्थित है । उधर मुंगेर जिला है और दोनों ओर सुहढ़ा गांव है और बीच में नदी है, जिससे वहां के लोग आवागमन से वंचित है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक पुल बनना बहुत आवश्यक है । इसी अनुरोध के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 84 श्री सीताराम यादव - अनुपस्थित ।

क्रमांक - 85 श्री सुबोध राय

श्री सुबोध राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर के सुलतानगंज प्रखंड के अन्तर्गत नयागांव पंचायत में हलकराचक और बाथ गांवों के बीच बडुआ नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित पुल हलकराचक और बाथ गांव के बीच बड्डुआ नदी पर अवस्थित है । नदी के एक तरफ के बसावट हलकराचक को मुख्य मंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत निर्मित पी.एम.जी.एस.वाई. की रोड हेमरा शिवमंदिर से बड्डुआ नदी से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ बसावट बाथ को शीर्ष पी.एम.जी.एस.वाई. अन्तर्गत निर्मित असरगंज करिया आर.ई.ओ. रोड पिपरा पथ से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल के आरेखन में उक्त बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है जिसके निर्माण का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबोध राय : वापस तो लेते हैं, साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको फिर से दिखवा लें । जो उत्तर है, सही नहीं है ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 86 श्री राम विचार राय

श्री रामविचार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्र्गत साहेबगंज प्रखंड के लोदिया-नवादा पथ हमें ईशाछपरा में पुराने जर्जर पुल के बदले नया आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित पुल लोदिया से नवादा पथ प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना से निर्मित पथ पर है । इस पथ के लगभग 2 किलोमीटर के पथांश में बाया नदी पर पूर्व से निर्मित पूर्व स्कूं पाईल ब्रीज है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । वर्तमान में इस पुल से आवागमन चालू है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामविचार राय : सभापति महोदय, पुल बहुत जर्जर है । माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि इसको अगले वित्तीय वर्ष में बनाने का कष्ट किया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 87 डा0 रामानुज प्रसाद

श्री रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के दिघवारा प्रखंडान्तर्गत कुरैया पंचायत के विशुनपुर से उन्हचक बाजार के बीच माही नदी पर जनहित में पुल निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एकस तरफ उन्हचक ग्राम एच.एच. -19 पर अवस्थित है और दूसरी तरफ बांध से सटे ग्राम पुरूषोत्तमपुर, विशुनपुर एवं पगुराहा को पी.एम.जी.एस.वाई. अन्तर्गत प्रस्तावित पथ से संपर्कता प्राप्त हो जायेगी । पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है । पुल स्थल ग्राम कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । अतः पुल निर्माण का कार्य तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

डा0 रामानुज प्रसाद : सभापति जी, माननीय मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि बननेवाली सड़क से उसकी संपर्कता स्थापित हो जायेगी । माननीय मंत्री जी के यहां हमारा सड़क भी लंबित है । कल इंजीनियर साहब ने बताया कि फाईल टर्न डाउन हो गया है। माननीय मंत्री जी, कोई संपर्क नहीं है, 12 गांवों का इलाका है, बारहगामा बोलते हैं और उसको कनेक्टिविटी नहीं है । हमारे उप मुख्यमंत्री भी जानते हैं, बारहगामा और डुमरी के लोग कहीं से जुड़े नहीं हैं, न प्रखंड से और न जिला से, वहां से लोग नहीं आ पाते हैं, उसको इस पुल से आने के लिये, आपकी बड़ी ही कृपा होगी, अगर आप पुल दे देंगे तो उनको कनेक्टिविटी मिल जायेगी । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इसको करायेंगे ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 88 श्री मिथिलेश तिवारी

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड के प्यारेपुर आशा खैरा से बरौली प्रखंड के सरफरा (40 कि0मी0) तक बांध की सुरक्षा हेतु गंडक नदी के किनारे पूर्व में निर्मित सारण मुख्य तटबंध और जमींदारी बांध का उच्चीकरण/पक्कीकरण कार्य शीघ्र करावे । "

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर प्रखंड के प्यारेपुर आशा खैरा ग्राम सारण तटबंध के 80 कि0मी0 के पास एवं बरौली प्रखंड के सरफरा ग्राम सारण तटबंध के किलोमीटर 120 के पास स्थित है । सारण तटबंध के कि0मी0 80 से 120.280 तक उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का योजना प्राक्कलन तैयार किया गया है । साथ ही गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी पर निर्मित कतिपय छड़किया जमींदारी बांध के पक्कीकरण का योजना प्राक्कलन भी तैयार किया गया है । सारण तटबंध के किलोमीटर 80 से 120.280 तक उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीरण कार्य योजना की प्राक्कलित राशि 9 करोड़ 8 लाख 92 हजार राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के विचारार्थ रखे जाने निमित मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को भेजा गया । प्रश्नगत कार्यों का लंबे प्रभाग में रहने के कारण उल्लेखित कार्यों का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से कराये जाने का कार्यक्रम है । इसलिये माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, चरणबद्ध तो पिछले चार वर्षों से सुन रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह चरण 6 महीने में समाप्त हो जाय, इसी आशा के साथ माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हुये कि कम से कम 6 माह में इस पर काम शुरू हो जाय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक - 89 श्री अरूण कुमार सिन्हा</u>

श्री अरूण कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना नगर निगम के वार्ड संख्या- 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एवं 55 को बरसात में होनेवाले जल जमाव से मुक्ति हेतु कार्य योजना बनावे।"

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, पटना नगर निगम क्षेत्र में हाल में अतिवृष्टि के फलस्वरूप जल जमाव की परिस्थितियों एवं कारणों का निर्धारण वर्षा ऋतु के पूर्व नालों की सफाई, जल निकासी, पम्प की मरम्मति, रख-रखाव एवं चालू रखने हेतु ससमय कार्रवाई करने में हुई कमी अथवा चूक की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है । इसका गठन भविष्य में जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना के संबंध में सुझाव एवं अनुशंसा भी दिया जाना है । समिति के

प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्रवाई की जा रही है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदन ने आसन ग्रहण किया)

श्री अरूण कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, मैं अपना कुछ लिखित सुझाव इसके निदान के लिये लाया हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमिटी बनी है और उसका उपाय निकाला जा रहा है, तो मैं भी अपना सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अरूण बाबू, आप अपना लिखित सुझाव माननीय मंत्री जी को दे दीजिये, वह ज्यादा कारगर होगा और आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : जी अच्छा, मैं अपना लिखित सुझाव माननीय मंत्री जी को दे देता हूं और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

टर्न-15/अंजनी/28.11.19

क्रमांक-90, श्री राम बालक सिंह

श्री राम बालक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल अन्तर्गत सिंधियाघाट रेलवे स्टेशन के पूरब गुमटी नं0-21बी/2टी0 जिससे होकर एस0एच0-88 बरूणा रसयाही सड़क गुजरती है, उक्त रेलवे गुमटी के उपर ओवर ब्रीज बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करे ।"

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन द्वारा यह सूचित किया गया है कि सिंधियाघाट रेलवे स्टेशन से पूरब गुमटी नं0-21बी0/2टी0 पर उक्त आर0ओ0बी0 सड़क के संबंध में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्र संख्या- डी0एस0आर0डी0सी0 लिमिटेड 1177/2013 पार्ट 1/ 2016-196 दिनांक 23.01.2018 के अंतर्गत नाकारात्मक सामाजिक प्रभाव आकलन के कारण रद्द किया जा चुका है, अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : उसका फिर से जांच करा लीजियेगा सामाजिक आकलन, अभी वापस ले लीजिए।

श्री राम बालक सिंह : महोदय,मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-91, श्री भाई वीरेन्द्र

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम-हल्दी छपरा, महावीर टोला, हाथी टोला, दुधैला एवं रतन टोला गंगा नदी के तेज कटाव से पूरी तरह प्रभावित है, को बोल्डर पीचिंग करावे ।"

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रसंगाधीन स्थल पटना जिला के मनेर प्रखंड अन्तर्गत सोन नदी एवं गंगा नदी के मिलन विन्दु के निम्न प्रवाह में नदी के दायें किनारे अवस्थित है । बाढ़ वर्ष 2014 से बाढ़ वर्ष 2019 के बीच महावीर टोला में 1720 मीटर एवं रतन टोला में 700 मीटर की लम्बाई में जियो बैग से कटाव विरोधी कार्य कराया गया है, जो वर्त्तमान में भी प्रभावित है । हल्दी छपरा एवं हाथी टोला में वर्त्तमान में कोई कटाव परिलक्षित नहीं है । वर्त्तमान में दुधैला में 76 एवं महावीर टोला से रतन टोला तक क्रमश: 475 मीटर, 650 मीटर एवं 825 मीटर की लम्बाई में जियो बैग से पीचिंग कार्य कराने के लिए निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जा रही है । उक्त कार्य को 154. 5 2020 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो पढ़े, उनके पदाधिकारी ने जो दिया, वे पढ़े लेकिन हम वहां के एम0एल0ए0 हैं । हमारे क्षेत्र के हल्दी छपरा में गंगा के कटाव से गांव का जमीन कट रहा है और आज भी कटाव जारी है और इनका जो बैग है, केवल इस्टीमेट घोटाला हो रहा है, कहीं सर जमीन पर है लेकिन जितना बैग इन्होंने बोला है, उतना बैग कहीं नहीं है । इनके विभाग में लूट मचा हुआ है और हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहेंगे कि आप एक बार चलिए और देख लीजिए और उसके बाद जो आपको करना है, वह आप करें ।

अध्यक्ष : आप दे भी दीजियेगा, मंत्रीजी जांच भी करा लेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : हमने तो आपके माध्यम से बोल दिया ।

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव को वापस ले लीजिए तभी न जांच होगी । मंत्री जी को दे दीजिएगा, उसकी जांच करा देंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मंत्री जी के आश्वासन पर हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-92, श्री विद्यासागर केसरी

श्री विद्यासागर केसरी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जल एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु अररिया जिलान्तर्गत हलहलिया पंचायत में अवस्थित अल समीर एक्सपर्ट प्रा0लि0 पशु वधशाला को बंद कराये ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया से प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्यासागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी आबादी है.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कह दिया कि रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करेंगे, अब आप क्या चाहते हैं कि नहीं करें कार्रवाई ? संकल्प को तो वापस लीजिए ।

श्री विद्यासागर केसरी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-93, श्री रामदेव राय

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मो0 आफाक आलम अधिकृत हैं।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा रेलवे जंक्शन पर गंगा सागर एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस, बलिया एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करे ।

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदन में यह सूचित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा के पत्रांक 1066 दिनांक 27.11.2019 से प्रतिवेदित किया गया है कि बछवाड़ा जंक्शन, बेगूसराय जिला के पश्चिम सिरे पर समस्तीपुर जिला के सीमा के पास अवस्थित है । उक्त जंक्शन पर तीन रेलवे लाईन क्रमश: बरौनी, समस्तीपुर तथा हाजीपुर की ओर जाती है । इस जंक्सन पर एक बड़ी आबादी के द्वारा सुलभ रेलवे यात्रा हेतु इस जंक्शन का उपयोग किया जाता है । अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए क्रमश: गंगा सागर एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस एवं बलिया एक्सप्रेसों के

ठहराव हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव गंगा सागर एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस एवं बलिया एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव हेतु राज्य सरकार रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी, अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो. आफाक आलम : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-94, डॉ0 रंजू गीता

डॉ0 रंजू गीता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड नानपुर का मॉडल प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड के कार्यालय अंचल आवासीय भवन निर्माण निरीक्षण कमरा एवं परिसर निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा मानक प्राक्कलन राशि में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । सम्प्रति उक्त योजना में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रंजू गीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इसका पिछले वित्तीय वर्ष में टेंडर हुआ था लेकिन कुछ टेकनिकल प्रोबलम के चलते रि-टेंडर होना था, करीब 18-19 महीने हो गये हैं, मैं सूचना के साथ और माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-95, श्री अवधेश सिंह

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक में विधायक विकास मद की राशि से शुरू किये गये योजनाएं यथा दयालपुर, जन्दाहा, शुभई, अफजलपुर, धोबपट्टी में सामुदायिक भवन/यात्री शेड सहित बाकी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करावे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, योजना एवं विकास विभाग को स्थानान्तरित किया गया है ।

अध्यक्ष: स्थानान्तरित किया गया है एवं योजना एवं विकास विभाग इसको देखेगी, इसलिए माननीय सदस्य से आप अनुरोध कर दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, यह जो योजना अधूरी है और माननीय सदस्य को यह अधिकार प्राप्त है कि योजना को पूरा करने के लिए जो उनको राशि मिलती है, उस राशि की अनुशंसा करेंगे तो यह योजना पूर्ण हो जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-96, श्री मदन मोहन तिवारी

श्री मदन मोहन तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया प्रखंड के पीपरा पकड़ी पंचायत के रानी पकड़ी के सोनारपट्टी के समीप कोहड़ा नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ सोनारपट्टी गांव को पिपरा से ददियानी पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ बढ़ई टोला को गनौली से धरोवा पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है, अत: पुल निर्माण का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में इसी गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसका डी0पी0आर0 तैयार है, टेंडर बाकी है...

अध्यक्ष: वही सूचना लेकर माननीय मंत्री जी को कहियेगा कि पुराने वाले को मान्य रखिए, अभी वापस ले लीजिए ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-97, शम्भु नाथ यादव

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-98, श्री नीरज कुमार
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-99, सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान

अध्यक्ष: माननीय सदस्य मो0 आफाक आलम अधिकृत हैं ।

श्री मो0 आफाक आलम: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के फलका प्रखण्ड अन्तर्गत बरण्डी नदी के कमला घाट पर पुल का निर्माण करावे ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ बालू टोला एवं दूसरी तरफ महादलित मुशहरी टोला अवस्थित है । उक्त दोनों बसावट पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ क्रमश: मोरसंड से बालू टोला एवं निसुंधरा से महादलित मुशहरी टोला से सम्पर्कता प्रदत्त है, इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है, अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को लिया जाय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे । कभी पुल में कह रहे हैं कि प्रस्ताव ही नहीं है तो हमलोग क्या जवाब देंगे पब्लिक को । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मेरे सवाल में भी वैसे ही जवाब दे दिये कि प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव लिया जाय और उसको बनाया जाय । हम माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि वह पुल बनाया जाय ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव तो वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/राजेश/28.11.19

क्रमांक: 100, श्री लक्ष्मीकान्त मंडल ।

श्री लक्ष्मीकान्त मंडल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर प्रखंड के राजपुर शिवायडीह मूहरण पथ पर कूरपट के

पास घोघा नदी पर 03 वर्ष पूर्व 07 करोड़ की लागत से निर्मित पुल के एप्रोच पथ का निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनानतर्गत पूर्व में केन्द्रीय एजेंसी एन0बी0सी0सी0 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था । एन0बी0सी0सी0 द्वारा पुल का निर्माण नहीं किये जाने पर उसका निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है । पुल के पहुंच पथ एवं फिनिसिंग कार्य मार्च,2020 तक पूर्ण करा दिया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री लक्ष्मीकान्त मंडल: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन ही सहमति से माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीकान्त मंडल जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

अब कुछ जो बच गये थे,उसे लिया जायेगा । क्रमांक-01 जिसे सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी ने पढ़ दिया था और मंत्रिमंडल सचिवालय(नागरिक विमानन) विभाग की तरफ से जवाब आना था ।

<u>क्रमांक: 01,श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।</u>

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय,मोतिहारी हवाईअड्डा के मैदान में पूर्व से पक्का हेलिपैड निर्मित है परन्तु इसका चहारदीवारी नहीं है । बिहार सरकार के पास इस हवाईअड्डा के विस्तार एवं निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प को वापस ले लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करनाचाहता हूँ कि मोतिहारी में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो गया,उसके लिए जमीन का भी अधिग्रहण हो गया है,वहॉ पर राष्ट्रीय स्तर की कई संस्थाएँ हैं जैसे मडर डेयरी जैसी संस्था, राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान का केन्द्र खुल गया एवं अन्य भी कई प्रकार की संस्थाएँ हैं, बगल में नेपाल है,जहॉ काफी पर्यटक एवं विदेशी लोग आते-जाते रहते हैं तो यहॉ पर मंत्री जी प्रयास तो करें,इसमें हमलोग भी सहयोग करेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । यह तो आप सुझाव दे दिये और संकल्प का क्या हुआ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, सुझाव कहां दिये । माननीय मंत्री जी तो स्थायी हेलीपैड बनाने में वहॉ पर बाउन्ड्री नहीं है, हमने तो हवाईअड्डा की बात कही है ।

अध्यक्ष: ठीक है । आपके सुझाव को माननीय मंत्री जी ने ग्रहण किया,अब तो संकल्प के बारे में आप न फैसला कर लीजिये वापस करने का ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: आपके सकारात्मक आश्वासन के आलोक में कि माननीय मंत्री जी से आग्रह करके हमारे प्रस्ताव को लागू करायेंगे, मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 03, श्री शिवचन्द्र राम

अध्यक्ष: इसके लिए माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम जी प्राधिकृत है ।

श्री लाल बाबू राम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

यहसभा राज्य से अभिस्ताव करती है कि वह देश की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्री बाई फुले के जन्मदिवस को शिक्षिका दिवस के रुप मं मनाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करें ।

अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्री जी चले गये हैं, लगता है कि उनका समाप्त हो गया था । ठीक है आपके इस संकल्प को विभाग को भेज दिया जायेगा ।

क्रमांक: 04, श्री आलोक कुमार मेहता

अध्यक्ष: इसके लिए माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद जी प्राधिकृत है ।

श्री रामानुज प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंडन्तर्गत शंकर चौक एन0एच0-28 से चपता मखनियाँ टोला होते हुए पी0डब्लू0डी0सड़क महिसारी बाबु पोखर से एस0एच0-88 महावीर चौक कल्याणपुर (विभूतिपुर) तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करावें ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ तीन तरफ से संबंधित है । नम्बर:1: एन0एच0:28 शंकर चौक से चपता मखनियाँ पथ तक यह पथ बिहार पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत निविदा की प्रक्रिया में है । नम्बर 2: चपता मखनियाँ से महिसारी बाबु पोखर तक पथ पथ मरम्मति हेतु बिहार पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत डी0पी0आर0तैयार किया जा चुका है,तदनुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । नम्बर 3: एन0एच0-28 महावीर चौक से कल्याणपुर तक पथ पथ मरम्मति हेतु बिहार पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है,तदनुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जायगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इन वर्णित सड़कों के विषय में मुझे जो जानकारी है वह यह है कि डी0पी0आर0 तैयार करके इंजीनियर ने देने का काम किया है

श्री शैलेश कुमार,मंत्रीः प्रक्रिया में है ।

श्री रामानुज प्रसादः प्रक्रिया में है लेकिन कहॉ जा रहा है कि पैसा नहीं है,नवार्ड ने रोक दिया है इसलिए माननीय मंत्री जी आग्रह है कि इसको करा देंगे और इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः धन्यवाद । सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 05, श्री सुनील कुमार

अध्यक्षः श्री सुनील कुमार जी का पढ़ा हुआ है । माननीय मंत्री परिवहन विभाग ।

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पुल निर्माण निगम से प्राप्त सूचनानुसार आर0ओ0बी0 का डी0पी0आर0 की अनुमानित लागत 75 करोड़ है । बिहार राज्य पुल निर्माण निगम निगम के अधिशासी विभाग पथ निर्माण विभाग,बिहार, पटना में समर्पित किया गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुनील कुमारः महोदय, सीतामढ़ी जिला के लिए एवं सीतामढ़ी शहर के लिए यह जो आर0ओ0बी0 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए रोज सीतामढ़ी में आंदोलन हो रहे हैं,दर्जनों लोगों ने पिछले तीन,चार दिन पहले सात दिनों तक आमरण अनशन करने का काम किया और फिर कैसे इन्होंने आमरण अनशन खत्म किया और वहॉ पर रोज जाम की समस्या रहती है, रेल के आने जाने से दो-दो घंटा तक गुमटी बंद रहता है,स्कूल के बच्चों की गाड़ियॉ रुकी रहती हैं, यानि की सीतामढ़ी शहर पूरा का पूरा अस्त-व्यस्त रहता है उस आर0ओ0बी0 के नहीं बनने से, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो महोदय और मैं तो कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय कह दें,आश्वासन दे दें कि कितना जल्दी शुरु कर देंगे ।

अध्यक्षः आपको जो कहना है वह न कह दीजिये,उनको जो कहना था वे तो कह दिये ।

श्री सुनील कुमारः महोदय, इसको जल्दी से जल्दी बनाने का आग्रह करते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-17/सत्येन्द्र/28-11-19

क्रमांकः 13, श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड के मोचारिम (मुचलिन्दा सरोवर) से निरंजना नदी के किनारे होते हुए राजपुर तक पर्यटकों की सुविधा हेतु पक्की सड़क का निर्माण करावे।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बोधगया प्रखंड अन्तर्गत मोचारिम(मुचलिन्दा सरोवर) ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है । जिला पदाधिकारी, गया के निर्देशानुसार वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गया एवं अंचलाधिकारी, बोधगया द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर भौतिक संभाव्यता प्रतिवेदन दिनांक 25-07-19 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को समर्पित किया गया है । तदनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को बोधगया क्षेत्र अन्तर्गत मोचारिम गांव के नजदीक सेमोसा मोड़ होते हुए राजापुर मोड़ सुजाता बाईपास तक रिवर फ्रंट रोड बनाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार सर्वजीत: कर ही दिये हैं तो हम वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक: 40, श्री मो0 नेमतुल्लाह</u>

श्री मो0 नेमतुल्लाह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज शहर के बड़हरिया गोपालगंज रोड पर हरखुहा मिल के पास अवस्थित रेलवे ढाला पर पुल निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से अनुशंसा करे ।''

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन में सूचित किया गया है कि गोपालगंज शहर के बड़हरिया गोपालगंज रोड पर हरखुहा मिल के पास अवस्थित रेलवे ढाला का पुल की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र पुल निर्माण हेतु पत्रांक 712 दिनांक 27-11-2019 के द्वारा प्रबंधक रेल मंडल, वाराणसी को अनुशंसा भेजा गया है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष: अनुशंसा की जा चुकी है इसलिए अभी इसको वापस ले लीजिये ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह: वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 57,श्री जितेन्द्र कुमार

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद प्राधिकृत है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के बिन्द प्रखंड के ग्राम पंचायत उतरथु के ग्राम-उतरथु के पास धाय पीपल तटबंध है जो जीराईन नदी और सोइबा नदी का संगमस्थल है, से बालू उत्खनन पर रोक लगावे ।''

श्री बृज किशोर बिन्द,मंत्री: महोदय, नालंदा जिलान्तर्गत सम्पूर्ण बालू घाट पंचाग वर्ष 2015-19 तक के लिए महादेव इंक्लेव प्राईवेट लि0 को बंदोबस्त है । बंदोबस्तधारी द्वारा निविदा दस्तावेज एवं बंदोबस्ती शर्तों के आलोक में खनन कार्य किया जाना है। बंदोबस्तधारी को बिन्द प्रखंड के मौजा उतरथु में जिराईन नदी का उतरथु बालु घाट के खनन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना से सहमति प्राप्त है । सिया (SEIAA) बिहार से पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बालू उत्पादन प्रेषण की अनुमति प्राप्त है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उतरथु बालु घाट को सभी प्रकार के उत्खनन संबंधी अनुमति प्राप्त है । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि नालंदा जिला के सम्पूर्ण बालू घाटों के बंदोबस्ती दिनांक 31-12-2019 के मध्य रात्रि से स्वत: समाप्त हो जायेगी । अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष: चन्द्रसेन जी वापस ले लीजिये ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक: 52, श्री मुजाहिद आलम

श्री मुजाहिद आलम: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के नटवापाड़ा निवासी मुसतहसन आलम एवं तकसीर आलम की मृत्यु दिनांक 14-03-18 को कोचाधामन थाना के बस्ताकोला में सामूहिक सड़क दुर्घटना में हो गयी थी, पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान राशि जल्द उपलब्ध करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के नटवापाड़ा निवासी स्व0 मुसतहसन आलम एवं तकसीर आलम के आश्रित क्रमश: फरहान जवीं तनमीर आलम एवं

सीमा खान को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 26-11-19 को अनुग्रह अनुदान की राशि 4-4 लाख का भुगतान कर दिया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुजाहिद आलमः मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि जो अनुग्रह अनुदान की राशि देने में बहुत देरी होती है और इसके लिए लोगों को बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है। अभी भी 2017 का भुगतान लंबित है।

अध्यक्षः अब तो आर0टी0जी0एस0 से 4-4 लाख रू0 चला गया है।

श्री मुजाहिद आलमः मिल गया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 67,श्री मो0 तौसीफ आलम

अध्यक्षः श्री मो0 आफाक आलम प्राधिकृत है ।

श्री मो0 आफाक आलमः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के लौचा पंचायत के तेघरिया जाने वाली सड़क में कोल नदी के पास तेघरिया घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक 66 पर अंकित वैसा पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ से कोलभिट्ठा पथ के आरेखन पर पड़ता है । उक्त पुल सहित पथ निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत तैयार कराया जा रहा है । तदुपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मो0 आफाक आलमः वापस लिया ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः 72, श्री फैयाज अहमद

श्री फैयाज अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत ग्राम रथौस से दुधौल तक क्षतिग्रस्त घौस नदी के पूर्वी तटबंध का निर्माण यथाशीघ्र करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रथौस धौस नदी के पूर्वी किनारे नहीं जबकि दधौस नदी के पश्चिम किनारे अवस्थित है । धौस नदी के पूर्वी किनारे बायें तट पर जल संसाधन विभाग का कोई तटबंध नहीं है जबकि धौस नदी के पश्चिमी किनारे दायें तटबंध पर लघु बांध निर्मित है जो बाढ़ 2019 के दौरान कई बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त हुआ है । वर्तमान में धौंस नदी के पश्चिमी किनारे दायें तट पर क्षतिग्रस्त भाग में ऊंचीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराने के लिए निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जा रही है । उक्त कार्य को 15-05-20 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव ले लें ।

श्री फैयाज अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वहां रथौस से दुधौल घाट तक अगर 10 कि0मी0 को ठीक से बंधवा दिया जाय तो जो तीन प्रखंड जो बाढ़ से प्रभावित रहता है बिस्फी, केवटी और दरभंगा का कुछ पार्ट उससे महफूज हो जायेगा जिससे हमारा हर साल सड़क जो बर्बाद होता है, घर दहता है उस सब से बच जायेगा तो यही हमारा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि..

अध्यक्ष: इसके बारे में लिखित विस्तृत सुझाव भी माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री फैयाज अहमद: चूंकि माननीय मंत्री जी हमेशा विकास के प्रति बहुत कोशिश करते रहते हैं इसलिए हमारा उनसे यह आग्रह है । इस आग्रह के साथ ही मैं अपना प्रस्ताव लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।
सभी गैर सरकारी संकल्प निष्पादित हुए ।

टर्न-18/आजाद/28.11.2019

समापण भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

षोडश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 01 (एक) विधेयक एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 06 (छः) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । माननीय

मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण तथा वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 2004-05 के अधिकाई व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-05 (पाँच) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग स्वीकृत हुई तथा शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019
2) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019
3) बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2019
4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2019

सत्र के दौरान कुल-670 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 526 प्रश्न स्वीकृत हुए ।

स्वीकृत प्रश्नों में 16 अल्पसूचित, 446 तारांकित एवं 64 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-02 एवं 94 प्रश्नों के उत्तर सदन पटल पर रखे गए। उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-63, शेष 367 प्रश्न अनागत हुए तथा 272 प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-93 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए ।

इस सत्र में कुल-109 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 107 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल-56 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 41 स्वीकृत एवं 15 अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में कुल-100 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में आप सबों के समक्ष आज ही चर्चा हुई ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलील नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट

मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया है, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, अब मैं आशा करता हूँ कि अब हम नए वर्ष में मिलेंगे । तब तक के लिए सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

.....